

50

U.P. Government by (Regd.)  
Established Date 06-01-1990 (1989-90)  
Reg. No. 1427  
Work Area - U.P. & India  
Mob : 7060247221, 8979543106

**President Office Committee**

**BHARATIYA GRAMIN KSHETRA GRAMODHYOG VIKAS SAMITHI**

LOYABADSHAPUR, POST-KHAS, DISTT-ETAH. BY CONDUCTED

HEAD OFFICE

U.P. Schedule Cast / Backword Cast, Vikas Organization

G.T. Road, Borana Near Highway Chauraha, Post-Panethi, Distt-Allgarh-202002 (U.P.)



President - R.B. VERMA

Ref. No. 3341

Dated. 2/8/19

सेवा में,

श्रीमान प्रमोदचन्द्र महोदय,  
उपसचिव (अनुसूचित जाति विकास)  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय  
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

विषय:- भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय, आदरणीय,

कृपया उपर्युक्त विषय के प्रति से महोदय जी को अवगत करना है। उक्त समिति की पत्रावली आपके मन्त्रालय के पत्र की पत्रांक 11020/55/2008 एच.सी.डी.।।। दिनांक 23/6/2008 के क्रम में विल्ट पोषित सहस्रपत्र से दर्ज से बौद्ध है। आपके मन्त्रालय में कईवार सम्पर्क किया कोई सुनवाई नहीं की गयी। उक्त समिति के कार्य कलापी के प्रति उच्च न्यायालय प्रयागराज/इलाहाबाद की शरण में गया उच्च न्यायालय क्रमांक नं० 32 केस रिटवाचिन्स सी नं० 12909/2019 उक्त समिति के प्रति दिनांक 15/4/2019 की न्याय आदेश की प्रति संलग्न है। आदेश के पत्र की पत्रांक 3368 दिनांक 24/4/2019 को लेखाधिकारी को उच्च न्यायालय की मसुदा प्रति स्प्रीट पोस्ट से अवगत कराया।

उच्च न्यायालय कोर्ट नं० 10 केस क्रन्टम प्रार्थना पत्र (संश्लि) नं० 4903 और 2019 पार्टीय अजय चौधरी लेखाधिकारी के प्रति उच्च न्यायालय को समय 15.16/9/2019 तक है मन्त्रालय द्वारा समिति के अध्यक्ष को किसी प्रकार से अवगत नहीं करा गया न्याय आदेश की प्रति संलग्न है। आपकी मापन कृपा होगी।

संलग्न 61

आवश्यक सूचनाएँ कायदाएँ हेतु प्रतिलिपि

1. सेवा में,

माननीय सचिव महोदय  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय  
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

2. सेवा में,

माननीय संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास)  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय  
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

3. सेवा में,

माननीय लेखाधिकारी  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय  
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

आस्था

अ.बी.वर्मा  
अध्यक्ष (समिति)

आस्था

अ.बी.वर्मा  
अध्यक्ष (समिति)



30 प्र० सरकार द्वारा (रजि०)  
स्थापित वर्ष दिनांक 06-01-1990 (1989-90)  
पंजीयन सं. - 1427  
कार्यक्षेत्र - 30प्र० एवं भारत वर्ष  
मो० 7060247221, 8979543081, 8979543106

# भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति



लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित

प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
बाबूजी मार्केट ॥ वैष्णो धाम के सामने ॥, एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अध्यक्ष - आर० बी० वर्मा

पत्रांक... 6/1.....

दिनांक... 27/8/2017

सेवा में

श्रीमाननीय राजवीर सिंह (राजू भैया)  
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री (उ.प्र.)  
संसद सदस्य  
लोक-सभा  
22-एटा (उ.प्र.)

विषय-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर पोस्ट-खास विकास खण्ड शीतलपुर  
जनपद-एटा आपके क्षेत्र के अन्तर्गत आती है।

महोदय, आदरणीय,

कृपया उपर्युक्त विषय के प्रति श्रीमान जी महोदय को अवगत करा रहा हूँ, विन्तु बाई द्वारा से-  
भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास लोयाबादशाहपुर पोस्ट-खास जनपद-एटा द्वारा उ.प्र. सरकार से दिनांक 6/1/1990  
वर्ष (1989-90) से रजि० है।

अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली की  
फाइल संख्या 11020/55/2008 एस.सी.डी. तृतीय दिनांक 23/6/2008 के क्रम में आर्थिक सहायता अवमुक्त किये जाने  
हेतु कार्यवाही चल रही है।

1. प्रमुख सचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण की मल्टीडिस्पनरी ग्रान्ट इन एड कमेटी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव संस्तुति कराने हेतु प्रेषित किया गया।
2. विशेष सचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 के सं.3320/26/8/100(37)2000 टी.सी.-1 दिनांक 26/12/2008 द्वारा ग्रान्ट इन एड कमेटी की बैठक 18/12/2008 समिति की संस्तुति सहित कार्यवाही संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।
3. भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के लिए की गयी समिति की संस्तुति प्रदर्शित है पुनः विशेष सचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 के पत्रांक 1477/26/2/2010 दिनांक 26/5/2010 द्वारा संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली हमारी संस्था के प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्रान्ट इन एड कमेटी द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने के पश्चात दिनांक 9,10 जौलाई 2010 को सम्पन्न मन्त्रालय की रीजनिंग कमेटी की बैठक में संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया किन्तु प्रस्तुतकर्ता द्वारा संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 6/1/2010 तक वैध होने के सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी। जब की प्रश्नगत पंजीयन प्रमाण-पत्र दिनांक 6/1/2010 से आगामी पांच वर्षों के लिये नवीनीकृत किया गया जो दिनांक 6/1/2015 तक वैध था।





4. श्री एम.ए.मुरली धरन पुर्व उप सचिव-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली के अधोहस्ताक्षर कर्ता को सम्बोधित दिनांक 8/8/2013 द्वारा अवगत कराया गया कि पजीयन प्रमाण-पत्र की बैचता दिनांक 6/1/2010 को समाप्त हो चुकी है, और संस्था की निरीक्षण अख्या 5 वर्ष की जानकारी दी है, यहां उल्लेखनीय है, कि संस्था का पजीयन प्रमाण-पत्र तथा संस्था की निरीक्षण अख्या दोनो ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखने से समय तक बैच/विधिमाम्य थी इस प्रकार मन्त्रालय की कमी होने के कारण जनवृद्धकर संस्था का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते समय प्रस्तुतकर्ता द्वारा अविवेक पूर्ण टिप्पणी किये जाने के फल स्वरूप संस्था एवं अन्ततः अनुसूचित जातियो के हितो पर उदाराघात हो गया।
5. चूंकि पजीयन प्रमाण-पत्र एवं निरीक्षण अख्या बैच थे। मन्त्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की सूची में समिति का नाम पत्रांक 288 पर अंकित था बैठक दिनांक 26,27/9/2013 में संस्था अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया, राज्य सरकार की ग्रान्ट इन एड कमेटी की संस्तुति के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में उपसचिव उ.प्र. शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 के संख्या 258/26/2/2015 दिनांक 25 फरवरी 2015 द्वारा उप सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
6. निदेशक समाज कल्याण उ.प्र. द्वारा वर्ष 2004-2005 के प्रेषित निरीक्षण अख्या को यथावत मानते हुए की गयी संस्तुति एवं अध्यक्ष नवीनीकृत पजीयन प्रमाण-पत्र की प्रतिया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी लम्बित मामले में अनुदान अवमुक्त करने हेतु मेरे अनुरोध पत्र को माननीय डा0 थावरचन्द गेहलोत मन्त्री जी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु योगेश कुमार उपाध्याय मन्त्री जी के निजी सचिव द्वारा संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास) भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी से समिति के अध्यक्ष को भी अवगत कराया। पत्र की पत्रांक 440 दिनांक 14/9/2016 में।
7. मन्त्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 26,27/9/2013 में चार संस्थाओं के प्रस्तावो को स्वीकृत की गयी।

- 1- Lakshmi mahil madal, D.No. Dispensary 28-714 Boya Street, Nagar, Anantpur AP.
2. भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर पोस्ट-छास जनपद-एटा (उ.प्र.)
- 3- Swabhimaan Education. Hittiyur, Chitradurga. District-karnataka.
4. Gramin Youva vikas mandal, Gali No. 1 Near babaji mandir, Rojound Pundhir Road V.P.O Sserdha Distt kaithal. (Haryana)

उक्त तीन संस्थाओं को मन्त्रालय से वर्ष (2014-2015) से अनुदानित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति का होने के नाते मामले को विलम्बित किया जा रहा है। माननीय मन्त्री जी से दिनांक 23/2/2017 को मन्त्रालय जाकर सम्पर्क किया। तथा कई बार पत्रों द्वारा मन्त्रीयो एवं सचिव/संयुक्त सचिव/अनुसचिव को उक्त प्रकरण के प्रति से अवगत कराया। उक्त समिति पर ऑनलाइन होने का कोई उचित नहीं बनता है। आपके शहर अलीगढ़ में प्रधान कार्यालय बाबूजी मार्केट बैणो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी.रोड़ अलीगढ़ में 5 अप्रैल 2015 से स्थित है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध कर रहा हूँ। संलग्न पत्रों को अपने संज्ञान में लाते हुये श्रीमाननीय डा0 थावरचन्द गेहलोत मन्त्री जी उक्त समिति के विकास कार्यो हेतु अनुदानित वित्त पोषित सहायता हेतु प्रमावी निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करे ताकि समिति उक्त वर्ग के निर्बल परिवारों में विकास कर सके। आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपकी महान कृपा होगी।

सादर

संलग्नक प्रतिया

25

आपका

रामबाबू वर्मा पूर्व प्रधान

पता-मकान नं. 1/29F उमानगर

अम्बेडकर कालोनी बन्द गली नं.03

पीली कोठी के पास पोस्ट भदोशी अलीगढ़





2060

30 प्र० सरकार द्वारा (रजि०)  
स्थापित वर्ष दिनांक 06-01-1990 (1989-90)  
पंजीयन सं. - 1427  
कार्यक्षेत्र - 30 प्र० एवं भारत वर्ष  
मो० 7060247221, 8979543081

# भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित  
प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
बाबूजी मार्केट, ॥ वैष्णव धाम के सामने ॥ एटा बुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अध्यक्ष - आर० बी० वर्मा

पत्रांक.....591.....



दिनांक 19/11/2017

सेवा में,

श्री रामदास अठावले महोदय  
माननीय राज्य मंत्री जी  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

Ravi  
19/11/17

**विषय - अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु पत्रांक संख्या - 11020/55/2008 - एस०सी० डी० III के अन्तर्गत गैर सरकारी संस्था को आर्थिक सहायता अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

आदरणीय महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि 30 प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 के पत्रांक 2635/26-2-2004 दिनांक 09-10-2004 के द्वारा निर्देशक समाज कल्याण 30 प्र० से संस्था के सम्बन्ध में आख्या/संस्तुति चाही गयी थी, तत् क्रम में निर्देशक समाज कल्याण 30 प्र० के पत्रांक 338/स०क०/अनु०/2004-05 दिनांक 29-10-2004 एवं भारत सरकार के पत्रांक 17020/12-91 - आर०सेल/एस०सी०डी० III दिनांक 01-10-91 के परिपालन में मुख्य विकास अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा निर्देशक समाज कल्याण 30 प्र० को जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद की संस्था के क्रिया-कलापों सम्बन्धी जांच आख्या भेजते हुए वर्ष 1991-92 से वर्ष 2004-05 तक के सततीकरण/केन्द्रीय अनुदान स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी थी जो 30 प्र० शासन के पत्रांक 60एम०/26-2-2007-1 (38)/98 दिनांक 28-06-2007 द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी। तदुपरान्त श्री एल०भरान्डी अनु सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11020/55/2008 - एस०सी०डी० III दिनांक 23-06-2008 द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण 30 प्र० शासन के मल्टी डिस्पलनरी ग्रान्ट इन एड कमेटी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव संस्तुति कराने हेतु प्रेषित किया गया। विशेष सचिव 30 प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग -2 के सं० 3320/26-2-8-100 (73)/2000 टी०सी० -1 दिनांक 26-12-2008 द्वारा ग्रान्ट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक 18-12-2008 में समिति की संस्तुति सहित कार्यवाही संयुक्त सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित की गयी। जिसके संलग्नक पृष्ठ 3 के भाग बी पर भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के लिए की गयी समिति की संस्तुति प्रदर्शित है। पुनः 30 प्र० शासन के पत्रांक 1677/26-2-2010 दिनांक 26-05-2010 द्वारा संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हमारी संस्था के प्रस्तावित कार्यक्रमों हेतु ग्रान्ट इन एड कमेटी द्वारा संस्तुति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराये जाने के पश्चात् दिनांक 09 एवं 10 जुलाई, 2010 को सम्पन्न मंत्रालय की स्वीचिंग कमेटी की बैठक में संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। किन्तु प्रस्तुतकर्ता द्वारा संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 06-01-2010 तक वैध होने के सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी, जबकि प्रश्नगत पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 06-01-2010 से आगामी पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया था जो दिनांक 06-01-2015 तक वैध था।



श्री एम०ए० मुरलीधरन उपसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली के अधोहस्ताक्षरकर्ता को सम्बोधित दिनांक 08-08-2013 द्वारा अवगत कराया गया कि पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 06-01-2010 को समाप्त हो चुकी है तथा संस्था की निरीक्षण आख्या 5 वर्ष तक के लिए मान्य होने की जानकारी दी है। यहां उल्लेखनीय है कि संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा संस्था की निरीक्षण आख्या दोनों ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में रखने के समय तक वैध/विधिमान्य थी। इस प्रकार जानबूझकर संस्था का प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते समय प्रस्तुतकर्ता द्वारा अविवेक पूर्ण टिप्पणी किये जाने के फलस्वरूप संस्था एवं अन्ततः अनुसूचित जातियों के हितों पर उठाराघात हो गया।

चूंकि पंजीयन प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण आख्या वैध थे, इसलिए मेरे अनुरोध पर दिनांक 26 एवं 27 सितम्बर, 2013 को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मेरी संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु प्रस्ताव किया गया। राज्य ग्रान्ट इन एड कमेटी की संस्तुति के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा संस्था को अनुदानित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। इसी क्रम में उपसचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग 2 के संख्या 258/26-02-2015 दिनांक 25 फरवरी, 2015 द्वारा उपसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को निदेशक समाज कल्याण उ०प्र० द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रेषित निरीक्षण आख्या को यथावत मानते हुए की गयी संस्तुति एवं अधयतन नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण पत्र आदि की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी। लम्बित मामले में अनुदान अवमुक्त करने हेतु मेरे अनुरोध पत्र को माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संयुक्त सचिव (अनुसूचित जाति विकास) भारत सरकार को भेजे जाने की जानकारी पत्र दिनांक 14-09-2016 अनेग्जर -14 द्वारा दी गयी।

दिनांक 06-12-2016 को श्री मनोज झां अनुसचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली से सम्पर्क करने पर उन्होंने शीघ्र सहायता राशि अवमुक्त कराये जाने हेतु आश्वस्त किया गया। दिनांक 21-12-2016 को पुनः सम्पर्क के दौरान श्री मनोज झां द्वारा प्रस्ताव ऑन लाइन भिजवाने हेतु कहा गया। जबकि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दि० 26, 27 सितम्बर, 2013 को स्वीकृत चार संस्थाओं के प्रस्तावों में से 3 पर अनुदान अवमुक्त किया जा चुका है, किन्तु प्रार्थी अनुसूचित जाति का होने के नाते उसके मामले को विलम्बित किया जा रहा है। दिनांक 22-12-2016 को अनुदान अवमुक्त किये जाने हेतु माननीय मंत्री महोदय एवं सचिव भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली को पुनः अनुरोध किया गया। उपरोक्त स्थिति के क्रम में क्रमवार अनेग्जर -1 से 15 कुल पृष्ठ-29 संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि मेरी संस्था को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति के अनुरूप अनुदान अवमुक्त करने हेतु प्रभावी निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें। संस्था अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु दृढ़ संकल्पित है।

भवतु सव्व मंगलम्।

संलग्नक- यथो - 297

भवदीय,

(आर०वी० घर्मो)



# भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित  
प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
बाबूजी मार्केट, ॥ वैष्ण धाम के सामने ॥ एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अच्छा - आर० प्रि० दर्जा

पत्रांक... 594 .....



दिनांक 17/4/2017

सेवा में

शम्भूशरण महोदय जी  
अनुसूचित (एस.सी.डी.तृतीय)  
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय  
भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली।

विषय:-

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति पत्रावली फाइल नं.11020/55/2008 एस.सी.डी.तृतीय दिनांक  
23/6/2008 को अवमुक्त सहायता के सम्बन्ध में

आदरणीय, महोदय

कृपया उपर्युक्त विषय के प्रति श्रीमान जी को अवगत करा रहा हूँ। सलग्न पत्रों को अपने संज्ञान लाते  
हुए। मन्त्रालय की रकीग्निन कमेटी की बैठक की सूची में उक्त समिति का नाम क्रम सं.288 पर अंकित है, बैठक कि  
दिनांक 9.10/7/2010 तथा द्वितीय बैठक की दिनांक 26.27/9/2013 के पत्र को देखते हुये। पत्रावली पर कार्यवाही कर  
आगे को प्रस्तुत की जाये। ताकि वित्त पोषित सहायता वर्ष (2017-2018) में प्राप्त कर समिति कार्य करा सके। आपकी  
महान कृपा होगी।

सलग्न यद्योपरी

फोटो प्रतिया. f.??

सादर

आपका

11.04.2017  
रामबाबू वर्मा पूर्व प्रधान

1. निवासी पोस्ट- लोयाबादशाहपुर  
जनपद-एटा-उ.प्र.
2. वर्तमान निवासी- 1/29F उमानगर  
अम्बेडकर कालोनी बन्द गली नं.3  
पीली कोठी के पास- पोस्ट भदेशी  
जनपद-अलीगढ़ उ.प्र.

15/4/17



30 प्र० सरकार द्वारा (रजि०)  
स्थापित वर्ष दिनांक 06-01-1990 (1989-90)  
पंजीयन सं. - 1427  
कार्यक्षेत्र - 30प्र० एवं भारत वर्ष  
मो० 7060247221, 8979543081

# भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित  
प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
बाबूजी मार्केट, ॥ वैष्णव धाम के सामने ॥ एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अध्यक्ष - आर० बी० वर्मा

पत्रांक.....




दिनांक.....

## आर.बी.वर्मा अध्यक्ष समिति द्वारा प्रमाण पत्र

केनरा बैंक सिबिल लाइन (मुख्य) एटा करेन्ट खाता नं.0372201001006  
चैक द्वारा भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर  
पोस्ट खास जनपद एटा के नाम.

भवदीय

  
आर.बी.वर्मा

अध्यक्ष (समिति)

आर० बी० वर्मा

अध्यक्ष

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति  
लोयाबादशाहपुर पोस्ट खास  
जनपद एटा (उ०प्र०)

U.P. Government by (Regd.)  
Established Date 06-01-1990 (1989-90)  
Reg. No. 1427  
Work Area - U.P. & India  
Mob. : 7080247221, 8979543081, 8979543106

70/7307261

# BHARTIYA GRAMIN SHETRA GRAMODHYOG VIKAS SAMITI

LOYABADSHAPUR, POST-KHAS, DISTT-ETAH, BY CONDUCTED

## HEAD OFFICE

U.P. Schedule Cast / Backword Cast, Vikas Organization  
Babuji Market, II Infront of Vaishano Dham II, Eath Chungi, G.T. Road, ALIGARH (U.P.)

President - R.B. VERMA

1021

Dated 13-6-18

सेवा में,

श्रीमान श्री थॉवरचन्द्र गहलोत जी  
माननीय मंत्री जी  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  
भारत सरकार, शास्त्री भवन  
नई दिल्ली-110001



विषय: भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु मंत्रालय में फाईल सं. 11020/55/2008 एस.सी. डी-111 दिनांक 23.06.2008 के क्रम में समिति को आर्थिक सहायता अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में पुनः अवलोकन हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आपके पत्र सं. E-Office/123902 MSJ&E dated 06-09-2017 जो कि श्री राजवीर सिंह पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उ०प्र०, संसद लोकसभा, 31 पं. रवि शंकर शुक्ल लेन, नई दिल्ली को लिखा गया था। उस पर आज दिनांक तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके फलस्वरूप हमारी संस्था के कर्मचारीगण बहुत ही दयनीय हालातों में जीवन यापन कर रहे हैं। कृपया इस विषय में पुनः अवलोकन कर समुचित आदेश जारी करवाने का कष्ट करें।

आपकी महान कृपा होगी।



भवदीय

र.स.



30 प्र० सरकार द्वारा (रजि०)  
स्थापित वर्ष दिनांक 06-01-1990 (1989-90)

पंजीयन सं. - 1427

कार्यक्षेत्र - 30 प्र० एवं भारत वर्ष

मो० 7060247221, 8979543081, 8979543106

# भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति



लोयाबादशाहपुर, पोस्ट - खास, जनपद-एटा द्वारा संचालित

प्रधान - कार्यालय

उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जाति / पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
बाबूजी मार्केट ॥ वैष्णो धाम के सामने ॥, एटा चुंगी, जी.टी. रोड, अलीगढ़

अध्यक्ष - आर० बी० वर्मा

पत्रांक..... 629.....  
To,

दिनांक 31/8/07

Ms G. Lathakrishna Rao,  
Secretary (SJ&E),  
Ministry of Social Justice and Empowerment,  
(Department of Social Justice and Empowerment),  
Wing, Shastri Bhavan, New Delhi- 110001.

**Subject:--Release of financial assistance to Non-Governmental Organization , Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh under the scheme of welfare of Scheduled Castes - F. No. 11020/55/2008- SCD-III**

Madam,

I beg to submit the following facts for your kind consideration and necessary action in the matter:-

1. The proposal of the organization, Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh was approved/recommended by the project sanctioning Committee of Government of Uttar Pradesh and forwarded to the Ministry alongwith their recommendation and inspection report during the year, 2008 for release of financial assistance to implement the following programmes for Scheduled Caste in 50 (Fifty) District under the scheme of assistance of voluntary organizations working for the welfare of Scheduled Castes.

- (i) Computer training.
- (ii) Beauty Parlor
- (iii) Cutting tailoring
- (iv) Non- residential school.
- (v) Carpentry

- (vi) Mobile dispensary  
(vii) 25 bedded hospital.

2. The Govt. of Uttar Pradesh had clarified the all queries/observations raised by the Ministry with regard to functioning of the above organization. In this regard, the State Govt. of Uttar Pradesh has submitted all requisite papers/documents as required by SCD-III Section.

3. The proposal of the Bhartiya Gramin Kshetra Gramouddyog Vikas Samiti, Jayanarayan Verma Road, Fatehgarh, District- Farukhabad, Uttar Pradesh was placed at Sl.No. 288 before the project Sectioning/ Screening Committee of the Ministry in its meeting held on 9<sup>th</sup> & 10<sup>th</sup> July, 2010 and rejected on the grounds that the Registration Certificate of the organization was valid upto 06-01-2010 and the inspection report was five year old. In this regard, the organization had clarified that the Registration Certificate of the organization was valid up to 5<sup>th</sup> January, 2015 w.e.f 06-01-2010 for a period of five years whereas inspection report was 2 (two) years old.

4. As per the observation of the Ministry, the state Government of Uttar Pradesh had again forwarded all papers/ documents of the organization vide letter dated 30<sup>th</sup> January, 2015 for consideration for release of grant in aid.

5. Further, it is to inform that the screening Committee constituted for sanction of grant-in-aid to voluntary organizations working for Scheduled Caste had approved the proposals of following organization out of which the three organizations have already received the financial assistance and our organization, Bhrtiya Gramin Kshetra Gramodhyog Samiti, Etah, U.P have not received any financial assistance from the Ministry till date. It is injustice with our organization.

(i) Laxmi Mahil Mandal, Anantpur, Andhra Pradesh.

(ii) Bhrtiya Gramin Kshetra Gramodhyog Samiti, Etah, U.P.

(iii) Swabhman Education Society, Karnataka.


(iv) Gramin Yuva Vikash Mandal, Kaithal, Haryana.

6. In view of the position explained above, It is therefore requested that the cocerned Joint Secretary may be directed to consider our proposal and release the Grant in Aid /financial assistance as per the provision of the scheme of assistance to voluntary organizations working in the Scheduled for implementation of the 7 (seven) programmes in 50 Districts.

प्रिया

२४

Yours Faith fully

  
(Ram Babu Verma)  
president





भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति  
लोयाबादशाहपुर पोस्ट-खास, जनपद-एटा  
द्वारा संचालित

उ०प्र० सरकार द्वारा (रजि०)  
स्थापित वर्ष-(1989-90)  
दिनांक (6.1.1990)  
पंजीयन सं० - 1427  
कार्य क्षेत्र उ०प्र० भारत वर्ष

प्रधान कार्यालय  
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
बाबूजी मार्केट वैष्णो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी. रोड़ अलीगढ़ (उ.प्र.)  
वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वर्ष (2018-2019) 31 मार्च तक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर जनपद-एटा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित प्रस्तावों को अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के गरीब निर्वल परिवारों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को जैसे-पुरुषों/महिलाएँ/छात्राएँ/छात्राओं/विकलांगों/नेत्र हीनो/मूक बरियो आदि को विभिन्न-विभिन्न योजनाओं प्रशिक्षणों तथा सहायता के अन्तर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों तथा 25 प्रशिक्षण शहरी क्षेत्रों में शिक्षितों तथा अशिक्षितों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का समिति का एक मात्र उद्देश्य है।

1. महिला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों:- महिला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर संचालित किये गये निम्नांकित स्थानों पर अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति की शिक्षितों तथा अशिक्षितों महिलाएँ/छात्राएँ/विकलांगों जिनकी आयु सीमा 15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की अवधि की होना आवश्यक है। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर 25 महिलाएँ/छात्राएँ/विकलांगों को 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच 1 बजे से 2 बजे तक द्वितीय बैच 3 बजे से 4 तक तृतीय बैच का संचालन निःशुल्क किये गये प्रति दिन 75 महिलाएँ/छात्राएँ/विकलांगों को (1) राधेश्याम जयन्त भवन स्वामी के मकान में किराये पर संचालन वर्ष (1996-97) तथा वर्ष (1997-98) में किया, जो मौहल्ला जंगबाज खा चौडा नकास पुलिस चौकी फर्सखाबाद के निकट (2) प्रेमदास सुमन के भवन में किराये पर जो भोलेपुर फर्सखाबाद में संचालन किया (3) जगदीश प्रसाद वकील ग्राम याकूतगंज विकास खण्ड बड़पुर फर्सखाबाद में (4) राकेश कुमार मिश्रा मौहल्ला जटपुर शमशाबाद फर्सखाबाद में (5) शंकरलाल ग्राम अजमतपुर कुंआ खेड़ा तहसील कायमगंज फर्सखाबाद में (6) बाबूराम यादव शान्ती नगर एटा (7) सर्वेन्द्र कुमार तोमर अवागढ़ हाऊस एटा में (8) विनोद कुमार श्रीवास्तव बहारपुर इटावा (9) मनोज कुमार श्रीवास्तव बकील मोहल्ला कटरा फरोहमहमुन्द खाँ इटावा (10) डा० रामकुमार रसूलाबाद कानपुर नगर (11) रघुवीर सिंह मौहल्ला अम्बेडकर कालौनी अतरौली अलीगढ़ (12) गेंदालाल भोगांव रोड़ मैनपुरी (13) राजेन्द्र प्रसाद वर्मा तालग्राम कन्नौज (14) विशम्बरनाथ शुक्ला सिकन्दरपुर कन्नौज (15) मैकूलाल ग्राम पहाडपुर सिरौली विकास खण्ड मोहम्मदाबाद फर्सखाबाद तथा अन्य के प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालित किये गये। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर सामग्री 5 सिलाई मशीनें पैरदान की हाथ की 10 सिलाई मशीनें, कपडा, धाग, कैची, इचीटैप, कुर्सीया भेजे, अलमारी, अमिलेख-स्टूल आदि प्रशिक्षण केन्द्रों को संचालन करने हेतु। स्टाफ कर्मियों जैसे संचालक अनुदेशिका, 3 अनुदेशिकाएँ 1 लेखालिपिक, चौकीदार, आया आदि को मानदेय दिया जाता था। प्रशिक्षण केन्द्रों क समय-समय पर निरीक्षण जांच अखिया जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्सखाबा/जिला विकास अधिकारी फर्सखाबाद जिला कार्यक्रम अधिकारी फर्सखाबाद। जिला प्रेवोशन अधिकारी फर्सखाबाद/उपनिदेशक समाज कल्याण कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा कर मुख्या विकास अधिकारी फर्सखाबाद ने अपनी संस्तुति के तहत निदेशक समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ की कार्यवाही के अन्तर्गत विशेष सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ/विशेष सचिव उ०प्र० शासन की कार्यवाही के तहत प्रस्तावों को अनुसचिव/अवरसचिव/समाज कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में पूर्व वर्षों से प्रस्तावों की पत्रावली प्रेषित है।

स्वयं:रोजगार प्राप्तकर छोटे बड़े कपड़े तैयार कर बाजारों में विक्रय कर सकती है। शिक्षित महिलाएँ/छात्राएँ-सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट नौकरी प्राप्त कर सकती है। ऐसे परिवारों में जाग्रत की लहर उत्पन्न हो सकती है। प्रति चयन जनपदों में प्रस्तावित अन्य योजना के तहत प्रशिक्षण पाकर स्वावलम्बी बन सकती है। प्रति जनपद में पांच प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी। जैसे- अलीगढ़, एटा, हाथरस, कन्नसगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ, मुरादाबाद, विजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, शामली, कानपुर नगर, इटावा, फर्सखाबाद, कन्नौज, लखनऊ,

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान

बाबूजी मार्केट वैष्णो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी. रोड़

अलीगढ़ (उ.प्र.)



उन्नाव, हरदोई, इलाहाबाद, फतेहपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गौण्डा, बहरांइच, बस्ती, सन्तकवीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, में आदि।

2. **राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजन:-** 15 अगस्त, 25 जनवरी एवं 2 अक्टूबर के पावन अवसरों पर संस्था के मुख्यालय भवन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के छात्र-छात्राये अभिभावक गणमान्य अतिथि एवं सेनानी श्री जय शंकर गुप्ता ने भाग लिया। झण्डारोहण के पश्चात् छात्र-छात्राओं द्वारा लोक गीत एवं देश भक्ति गीतों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही आजादी के बाद का भारत नामक शीर्षक से एक वाद-विवाद संस्था के अध्यक्ष तथा सेनानी श्री गुप्ता जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने आजादी के सही मायने बच्चों को बताते हुए अपील की कि वे देश के लिए अपने आप को समर्पित करें अच्छे नागरिक बनें और देश के अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे जे जाने का प्रयास करें माहत्मा गाँधी को याद करते हुए उन्होंने उनके आदर्श सत्य एवं अहंसा का पालन करने की सलाह दी एवं देश की आजादी में बापू के योगदान पर चर्चा की। इसके बाद सूक्ष्म जलपान कर सभा का समापन किया गया।
3. **जनसंख्या नियंत्रण कैम्प:-** स्थान लोयाबादशापुर (एटा) में संस्था की तरफ से एक अयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र डॉ० अशोक ने एक परिवार में दो से ज्यादा बच्चे न हों ऐसा संकल्प लेने का आवाहन किया। गरीबों खासकर अल्पसंख्यक वर्गों को इंगित करते हुए कहा कि आज परिवार नियोजन के तमाम तरीके सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। जिनका उपयोग कर परिवार को नियंत्रित किया जा सकती है। कम जनसंख्या होने पर सरकार द्वारा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा एवं भोजन आदि उपलब्ध कराया जा सकता है। बेरोलगाड़ी दूर होगी तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में तरक्की होगी। संस्था के सचिव ने आबादी पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए कहा कि संस्था परिवार नियोजन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क करें ताकि उसका निदान किया जा सके।
4. **युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम-** वर्ष 2012-13 में जिसे युवा वर्ष का नाम दिया गया था युवाओं की देश के प्रति बढ़ती भागीदारी पर बोलते हुए ब्लाक ईसानगर जिला लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष अख्तर अहमद ने कहा कि आज के युवा देया की रीढ़ है। अच्छी शिक्षा एवं अच्छे आचरण से हम अपने गाँव, शहर, प्रदेश एवं देश को उन्नतशील एवं समृद्ध बना सकते हैं। संस्था के उपाध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि आज के युवा आगे आये और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग युवाओं के लिए चालू योजनाओं का लाभ कहां से और कैसे लें इस बात को विस्तार से बताया गया।
5. **उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम:-** बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगवाद संस्कृति को देखते हुए विभिन्न देशी-विदेशी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपनाये जा रहे हथकंडों के बारे में जागरूक करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के सदस्य श्री अवध नाथ पाल ने बताया कि बहुत से उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते इसके पीछे ने कारण उनका अशिक्षित होना, दूसरी सरकार द्वारा गाँव देहात में उपभोक्ता अधिकारों की गोष्ठी एवं सभाओं का आयोजन न करा पाना। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पहाड़पुर सिरौली एवं जनपद फर्रुखाबाद में किया गया। हमें अच्छे एवं घटिया उत्पादों को पहचानने, मिलावटी सामानों का पता लगाना एवं घटौली आदि की जानकारी कैसे करें बताया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह सदस्य फर्रुखाबाद बार काउंसिल ने बताया कि उपभोक्ताओं को उत्पादक कम्पनी द्वारा शिकायत न सुने जाने पर कहां और कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए इस कार्य को अधिवक्ता के द्वारा भी एवं स्वयं के द्वारा भी किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी जनपद के कचहरी न्यायालय में जिला उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
6. **साक्षरता कार्यक्रम:-** जनपद मुख्यालय में संस्था द्वारा आयोजित एक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन प्रधानाचार्य श्री विजय शंकर राजकीय इन्टर कॉलेज ने किया। उपस्थित जनसमुदाय एवं बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक सतत् के तहत गाँव-गाँव देहात, शहर के बच्चे व बूढ़े सभी साक्षर हो ऐसा भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। हर बच्चा चाहे लड़की हो या लड़की अपने पास के विद्यालय अवश्य जाये ताकि पढ़-लिखकर अपने अधिकारों को समझे तथा उसका लाभ उठाकर अपना जीवन स्तर बढ़ाए। अब तो मिड-डे मिल योजना के तहत हर सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जा रहा है। कॉपियाँ, किताबें एवं स्कूली बस्ते भी सरकार द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कि कोई भी बच्चा बगैर पढ़े न रहे। शिक्षा इन्सान की तरक्की का सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। स्थानीय सभासद ने भी इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा समाज के ढाँचे को बदलने में कितनी सकता है। इसके लिए हर बच्चा व वयस्क को शिक्षित होना आवश्यक है।
7. **मद्य निषेध कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम धनुआ बेवर रोड भोलेपुर में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण एवं समाज सेवियों को सम्बोधित करते हुए मनोचिकित्सक निर्वाण श्री आलोक कुमार ने बताया कि नशा किस तरह

अध्यक्ष  
प्रधान कार्यालय  
उपर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
सकलें शक्ति ! शिक्षा वार से ...  
080210 206, ...



हमें बरबाद करता है। इसका सेवन हमारे मानसि स्तर को कितना नुकसान पहुँचाता है। इस बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। धूम्रपान, शराब व नशीली गोलियों का सेवन केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है बल्कि अपरोक्ष रूप से उससे जुड़े हर व्यक्ति को अपाहित बना देता है। आज बड़ों की देखा-देखी छोटी उम्र के बच्चे नशा करने लगे। बेहद चिंता का विषय है। इसलिये हमें नशे से दूर रहना चाहिये। चिकित्सक डॉ० राकेश तोमर ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को डाँवाडोल करता है। बल्कि उसके पूरे परिवार को तहस-नहस करता है। माँ, बाप, पत्नी, बच्चे सभी अग्रत्यक्ष रूप से इस नशे का शिकार होते हैं। साथ ही बच्चा अपने पिता को पीता देखकर खुद को भी पीने से नहीं रोक पाता है। हमें नशा बेचने वालों की शिकायत स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए ताकि अपने आस-पास के लोगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके।

8. **पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम:-** ग्राम बरझाला जनपद फर्सखाबाद में आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय अवयव स्कूल के बच्चों ने बड़-चड़कर हिस्सा लिया हम अपने आस-पास के वातावरण को कैसे संरक्षित रखें और शुद्ध वायु प्राप्त करें, विषय पर वन क्षेत्राधिकारी श्री संजय सिंह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि तरह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। उनके अनुपात में वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। आज जरूरत है। कि हम अपने सुख-सुविधाओं से परे हटकर सोचें किस तरह समाज हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे है। जगह-जगह गंदगी, कूड़ा-करकट, प्रदूषण, शोर इस कदर बढ़ गया है। कि हम इस पर यदि नियंत्रण नहीं किता तो आने वाले समय में स्थिति अल्पधिक गम्भीर होगी। प्रमुख समाजसेवी एंव ग्रीन ऐरा के पत्रकार संपादक श्री शिवचरण सिंह रावत ने बताया कि किन कारणों से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता जा सकता है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हमें सिर्फ अपने आधुनिकीकरण एंव प्राकृति संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोककर नियंत्रित तरीके से करने की जरूरत है।
9. दुर्गेश जौशी विशेष सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 नवम्बर 1997 समिति का प्रस्ताव महिला, सिलाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचिव भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय शास्त्री भवन लखनऊ को प्रेषित किया।
10. आचार्य सुरेशबाबू अनुसचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 मार्च 1998 को समिति के प्रस्तावो 4 महिला, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रो की संस्तुति कर सचिव भारत सरकार कल्याण मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को प्रेषित करायी गयी। तथा आवासीय विद्यालय के स्थान पर अनावासीय विद्यालय 100 बच्चे/बच्चियों हेतु बम्बाकी पुरानी फुलिया नगला मानसिंह अलीगढ़ में संचालित है 28 मार्च 1998 तथा 30 छात्राए तथा छात्राओ हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु 28 मार्च 1998 में मन्त्रालय पत्रावली प्रेषित है। और 25 बैथ्याओं के बच्चो हेतु जनता सुधार शिक्षा एंव व्यवसायक प्रशिक्षण केन्द्र मोहल्ला जटपुर शमशाबाद फर्सखाबाद में संचालित था। आचार्य सुरेशबाबू अनुसचिव उ०प्र० शासन की संस्तुति के तहत प्रस्ताव था।
11. रमाशंकर सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 9 अक्टूबर 2004 के तहत निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से जांच कराने के सम्बन्ध में। निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ ने जिला अधिकारी फर्सखाबाद/मुख्य विकास अधिकारी फर्सखाबाद से कराने के सम्बन्ध में पत्र भेज कर अवगत करायी।
12. मुख्य विकास अधिकारी फर्सखाबाद/ जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्सखाबाद से निरीक्षण जांच अख्याकरा कर मुख्य विकास अधिकारी फर्सखाबाद की संस्तुति से निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ को 31 दिसम्बर 2004 को पत्र वाहक द्वारा पत्रावली प्रेषित की गयी।
13. निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ की कार्यवाही के अन्तर्गत विशेष सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ की दिनांक 21 मार्च 2005 में प्रस्ताव पत्रावली प्रेषित करायी।
14. उमाशंकर सिंह अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 जून 2007 को प्रस्ताव पत्रावली पत्रवाहक द्वारा अवर सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली मन्त्रालय की डाक पत्र सेक्शन में ड्रायरी नं० 4143 2/7/2007 में प्रेषित की गयी। तथा एल.मरांडी अनुसचिव द्वारा मुख्य विकास अधिकारी फर्सखाबाद के पत्रांक पत्र में संशोधन कर समिति को 11020/55/2008 दिनांक 23/6/2008 एस.सी.डी.तृतीय किया गया।
15. जिला प्रोवेशन अधिकारी फर्सखाबाद, एटा, काशीराम नगर, (कासगंज) बदायूं, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कानपुरनगर, लखनऊ, गौण्डा आदि ने निरीक्षण जांच अख्या की।
16. अनिता घटगी विशेष सचिव उ०प्र० शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 दिसम्बर 2008 की संस्थाओ/समितियो/संगठनो हेतु प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में ग्रान्ट इन एड कमेटी की बैठक दिनांक 18/12/2008 में विचार कर 45 संस्थाओं संचालित तथा 17 संथाओं जो प्रस्तावित थी। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन में पत्रावली प्रेषित करायी गयी।

अध्यक्ष  
प्रधान सचिव/सचिव  
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात/जाति विकास संस्थान  
धर्मपुरी नरौरा, दिल्ली काठ के लखनऊ। एच.डु.जी.  
संकेतित सं. १०००००



17. भवनाथ विशेष सचिव उOप्रO शासन लखनऊ समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 मई 2010 को संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में ग्रान्ट इन एट कमेटी की संस्तुति के प्रति मन्त्रालय द्वारा पूछा गया। मन्त्रालय की स्कीनिंग कमेटी की बैठक की सूची में उक्त समिति नं० 288 दिनांक 9/10/2010 पर विचार किया गया।
18. कमलकिशोर श्रीवास्तव उप सचिव उOप्रO शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 27 अप्रैल 2011 को अनुसूचित सामाजिक न्याय और मन्त्रालय भारत सरकार शास्त्री भवन नई दिल्ली द्वारा उक्त समिति के सम्बन्ध में।
19. एम.ए.मुरलीधरन डिप्टी सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली के पत्र की पत्रांक 11020/55/2008 एस.सी.डी.तृतीय दिनांक 8 अगस्त 2013 में अवगत समिति के अध्यक्ष को अवगत कराया गया, समिति के रजिस्ट्रेशन तथा निरीक्षण जांच अथवा के प्रति से।
20. संजीव कुमार पूर्व संयुक्त सचिव एवं स्कीनिंग कमेटी के अध्यक्षता में दिनांक 26.27/9/2013 में भारत वर्ष की 44 पञ्जावली बैठक में रखी गयी मात्र चार संस्थाओं (1) अन्ध्र प्रदेश (2) उत्तर प्रदेश (3) कर्नाटक प्रदेश (4) हरियाण प्रदेश की पञ्जावलीयो पर विचार किया गया वित्त पोषित सहायता हेतु। तीन को मन्त्रालय द्वारा सहायता वर्ष (2014-2015) से प्राप्त हो रही है। हमारी समिति को आज तक कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
21. समिति का नवीकरण दिनांक 6/1/2015 से दिनांक 6/1/2020 तक मान्य है समय आने पर नवीकरण करा लिया जायेगा।
22. निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ दिनांक 30 जनवरी 2015 में समिति के रजिस्ट्रेशन की वैधता समाप्त होने का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा रजिस्ट्रेशन का नवीकरण करा कर छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी।  
चास्लता उपसिक्व उOप्रO शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 25 फरवरी 2015 को उप सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली को अग्रतर कार्यवाही कियो जाने हेतु पत्र भेजा।
23. श्रीमाननीय थावरचन्द गेहलोत महोदय मन्त्री जी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय को समिति के अध्यक्ष द्वारा पत्र के तहत से अवगत कराया, योगेश कुमार उपाध्याय निजी सचिव के पत्र की पत्रांक 440 दिनांक 14/9/2016 को समिति के अध्यक्ष को अवगत कराया। मन्त्री महोदय को पत्र की पत्रांक 561 दिनांक 22/12/2016 को अवगत कराया। तथा श्रीमाननीय रामदास आठवले राज्य मन्त्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली जाकर मन्त्रालय में पत्र की पत्रांक 591 दिनांक 19/1/2017 को प्रस्ताव पञ्जावली दिनांक 1/2/2017 में डाक में प्रेषित की।
- स्वास्थ्य समुदायक केन्द्रो:-** समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत 35 घयनित जनपदों में 10 बैड अस्पताल तथा 13 मडण्लओ में एक स्वास्थ्य समुदायक केन्द्रे स्थापित करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति की मलिन वस्तीयो तथा बी.पी.एल. धारिक कार्डों के तहत इलाज तथा दवाईया वितरण की जायेगी। अधिक विमार वाले भर्ति किये जायेगे।
- मोबाइल डिस्पेन्सरी :-** चलात फिरता मोबाइल अस्पताल अनुसूचित जाति के परिवारो जो गरीब निर्वलो को दवाईया नि:शुल्क ग्रामीण क्षेत्रो व शहरी क्षेत्रो में दवाईया वितरण बी.पी.एल. धारिक कार्डों के तहत घयनित जनपदो की जायेगी।
- ब्यूटी पालर प्रशिक्षण केन्द्रो:-** समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत महिलाएँ/छात्राएँ/ जिनकी आयु सीमा 14 वर्ष से 35 वर्ष तक की नि:शुल्क प्रशिक्षण बैचो के माध्यम से शिक्षित महिलाएँ/छात्राएँ ब्यूटी पालर सीखकर स्वयं का रोजगार प्राप्त कर सकती है। अनुसूचित जाति के परिवारो की जिला प्रोवेशन अधिकारी अलीगढ़ के पत्र की पत्रांक 3194 दिनांक 28 मार्च 2017 के तहत स्टेप योजना हेतु निदेशक महिला कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ की।
- बिजली कार्यक्रम प्रशिक्षण केन्द्रे:-** समिति के प्रस्ताव के तहत बिजली कार्य प्रशिक्षण केन्द्र अनुसूचित जाति के शिक्षित युवको को नि:शुल्क प्रशिक्षण दिलाकर स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकते है।
- दुखा आश्रम हेतु:-** अनुसूचित जाति के परिवारो के गरीब व निर्वल वृद्धओ को आश्रम के तहत भोजना कपड़ा पुस्तके अखवार अन्य सुविधा जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो नि:शुल्क की जायेगी।
- समिति के प्रस्तावो के तहत अन्य योजनाओ के अन्तर्गत विकलांगो तथा नेत्राहीनो मूकवरिचो को प्रशिक्षण तथा नि:शुल्क सहायता करने का समिति का एक मात्र उद्देश्य है।
- समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रधान कार्यालय 13 मडण्ल कार्यालयो 35 जिला कार्यालयो में उक्त योजनाओ के माध्यम से स्थापना की जायेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय भारत सरकार के तहत वित्त पोषित होने पर संचालित की जायेगी। समिति के उद्देश्य की पूर्ति हेतु।

**भवदीय**

आर.बी.वर्मा  
अध्यक्ष (समिति)

आयुक्त  
प्रमाणित कार्यपालक  
संयुक्त जिलाधिकारी उच्च शिक्षण विभाग लखनऊ  
समिति का कार्यालय  
2010 ई. 11/11/17



# भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोयाबादशाहपुर (एटा)

## प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान

जयनरान वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

## वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वर्ष (2017-2018) 31 मार्च तक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर जनपद-एटा द्वारा संचालित प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान बाबूजी मार्केट वैष्णो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी. रोड़ अलीगढ़ के नाम वर्ष 2016 से प्रधान कार्यालय स्थित है इसस कार्यालय से मस्त की देख रेख की जाती है।

समिति के विधान के उद्देश्य के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रस्तावों को अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के गरीब और परिवारों में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को जैसे पुरुष/महिलाएँ/छात्राएँ/छात्र/विकलांग/मूक, बरिघ आदि विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में शिक्षित तथा अशिक्षित को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का एक मात्र उद्देश्य है।

### महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों

महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर 75 प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत रहेंगे। जिसमें अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के परिवारों की महिलाएँ/छात्राएँ/विकलांग जिनकी आयु सीमा 14 वर्ष से 40 वर्ष की अवधि के बीच की होगी। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन समय दिन में 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच में 40 प्रशिक्षण कार्य सीखेगी तथा 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय बैच में 35 प्रशिक्षण कार्य सीखेगी। जिसकी अवधि 6 माह तथा 1 वर्ष की होगी। प्रशिक्षणों केन्द्रों में कार्य निःशुल्क दिया जायेगा।

प्रति प्रशिक्षण केन्द्रपर स्टाफ कर्मचारीगण 1-संचालन अधिकारी को मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह 2-अनुदेशिकाओं का मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह प्रति कौ लेखा लिपिक 6000/-रुपये प्रतिमाह मानदेय वेतन 3000/- रुपये आया/सहयोगी प्रतिमाह 3000/- रुपये चौकीदार को प्रतिमाह मानदेया वेतन 2000/- रुपये प्रति माह सफाई कर्मि को मानदेय वेतन प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर ढावन स्वामी को किराये वास्ते 6000/- रुपये प्रतिमाह समिति ने अपने संशोधनों से धनराशि दी।

प्रशिक्षण केन्द्रों का समय पर जांच निरीक्षण आंख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा तथा उपनिदेशक समाज कल्याण अधिकारी कानपुर द्वारा की गयी। मुख्य विकस अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा संस्तुति के तहत निदेशक समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ को/निदेशक समाज कल्याण की कार्याली के अन्तर्गत, विशेष सचिव उ०प्र० शासन-समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ तथा विशेष सचिव की कार्यवाही के अन्तर्गत अवर सचिव/अनुसचिव भारत सरकार के समाज कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में पूर्व वर्षों से प्रस्ताव प्रेषित है।

### 1. महिला सिलाई कढ़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण संचालित किये जायेंगे जैसे-

- मुहल्ला जंगवाज खां घोड़ा नकास पुलिस चौकी फर्रुखाबाद में राधेश्याम जयन्त भवन स्वामी के मकान में किराये पर
- मुहल्ला भोलेपुर फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के प्रेमदास सुमन के भवन पर किराये पर
- जगदीश प्रसाद वकील ग्राम याकृतगंज विकास खण्ड बड़पर फर्रुखाबाद में
- राकेश कुमार मिश्रा मुहल्ला जटपुरा शमशाबाद फर्रुखाबाद में
- शंकरलाल ग्राम-अजमतपुर कुंआ खेड़ा तहसील कायमगंज फर्रुखाबाद में
- बाबूराम यादव- मुहल्ला शान्तीनगर एटा
- सर्वेन्द्र कुमार तोमर अवागढ़ झरुस एटा में
- स्व० विनोद कुमार श्री वास्तव बहारपुर इटावा
- मनोज कुमार श्री वास्तव वकील मुहल्ला कटरा, फतेहमहमूद खां इटावा
- डा० राकुमार रसूलाबाद कानपुर नगर
- रघुवीर सिंह मुहल्ला अम्बेडकर कालीनी अतरौली अलीगढ़
- गैदालाल भोगांव रोड़ मैनपुरी
- राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ग्राम-तालग्राम कन्नौज
- विशम्बरनाथ शुक्ला सिकन्दरपुर कन्नौज
- नैकूलाल- ग्राम पहाड़पुर (सिरौली) विकास खण्ड

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
बाबूजी मार्केट वैष्णो धाम के सामने एटा चुंगी जी.टी. रोड़,  
अलीगढ़



मोहम्मदाबाद फर्लखाबाद के अन्तर्गत उक्त प्रशिक्षण संचालित रहे। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर सामग्री 5 सिलाई मशीने परैदानों की 10 सिलाई मशीन हाथ की कपड़ा काटने हेतु मेजज कुर्सी तथा 10 स्टूल 5 मेजे, 3 अलमारी, फर्श, शीशे की अलमारी छोटे कपड़ों वास्ते। कैंची, ईचीटेप, कपड़ा-धागा सुई बटन प्रैस कपड़ो वास्ते लिखने वास्ते क्रापिया प्रेक्टिल हेतु फाइले दी गयी। उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर 3000 महिला/छात्राओं ने कार्य सीख कर परीक्षा के अन्तर्गत उत्तीर्ण कर सिलाई प्रमाण पत्र प्राप्त किये। महिलाएँ/छात्राएँ स्व-रोजगार प्राप्तकर छोटे बड़े कपड़े तैयार कर बालारों में विक्रय कर सकती है। शिक्षित महिलाएँ/छात्राएँ-सरकारी/ अर्द्धसरकारी/प्राइवेट नौकरी प्राप्त कर सकती है। ऐसे परिवारों में जाग्रत की लहर उत्पन्न हो सकती है। प्रति चयन जनपदों में प्रस्तावित अन्य योजना के तहत प्रशिक्षण पाकार स्वावलम्ब बन सकती है। प्रति जनपद दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाये कार्यालय स्थापित कर। जैसे- अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ, मुरादाबाद, विजनौर, ज्योतिवाराव फूलेनगर, सम्भल, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर (नौएडा) हापुड, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, कानपुर नगर, इटावा, फर्लखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाँरबकी, अम्बेडकरनगर, गौण्डा, बहराँइच, बस्ती, सन्तकवीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, झाँसी, जालौन (उरई) में आदि। अन्य जनपद प्रशिक्षण केन्द्र संचालित होंगे।

2. **राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजन:-** 15 अगस्त, 25 जनवरी एवं 2 अक्टूबर के पावन अवसरों पर संस्था के मुख्यालय भवन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के छात्र-छात्राएँ अभिभावक गणमान्य अतिथि एवं सैनानी श्री जय शंकर गुप्ता ने भाग लिया। झण्डारोहण के पश्चात् छात्र-छात्राओं द्वारा लोक गीत एवं देश भक्ति गीतों को प्रस्तुत किया गया। साथ ही आजादी के बाद का भारत नामक शीर्षक से एक वाद-विवाद संस्था के अध्यक्ष तथा सेनानी श्री गुप्ता जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने आजादी के सही मायने बच्चों को बताते हुए अपील की कि वे देश के लिए अपने आप को समर्पित करें अच्छे नागरिक बनें और देश के अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे जे जाने का प्रयास करें माहत्मा गाँधी को याद करते हुए उन्होंने उनके आदर्श सत्य एवं अहंसा का पालन करने की सलाह दी एवं देश की आजादी में बापू के योगदान पर चर्चा की। इसके बाद सूक्ष्म जलपान कर सभा का समापन किया गया।
3. **साक्षरता कार्यक्रम:-** जनपद मुख्यालय में संस्था द्वारा आयोजित एक साक्षरता कार्यक्रम का आवेजन प्रधानाचार्य श्री विजय शंकर राजकीय इंटर कॉलेज ने किया। उपस्थित जनसमुदाय एवं बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि एक सतत के तहत गाँव-गाँव देहात, शहर के बच्चे व बूढ़े सभी साक्षर हो ऐसा भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। हर बच्चा चाहे लड़को हो या लड़की अपने पास के विद्यालय अवश्य जाये ताकि पढ़-लिखकर अपने अधिकारों को समझे तथा उसका लाभ उठाकर अपना जीवन स्तर बढ़ाए। अब तो मिड-डे मिल योजना के तहत हर सरकारी स्कूलों में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जा रहा है। कॉपियाँ, किताबें एवं स्कूली बस्ते भी सरकार द्वारा नि-शुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। कि कोई भी बच्चा बगैर पढ़े न रहे। शिक्षा इन्सान की तरक्की का सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। स्थानीय सभासद ने भी इस अवसर पर सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा समाज के ढाँचे को बदलने में कितनी सकता है। इसके लिए हर बच्चा व वयस्क को शिक्षित होना आवश्यक है।
4. **मद्य निषेध कार्यक्रम:-** इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम घन्सुआ बेवर रोड़ भोलेपुर में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित ग्रामीण एवं समाज सेवियों को सम्बोधित करते हुए मनोचिकित्सक निर्वाण श्री आलोक कुमार ने बताया कि नशा किस तरह हमें बरबाद करता है। इसका सेवन हमारे मानसि स्तर को कितना नुकसान पहुँचाता है। इस बारे में हमें गम्भीरता से विचार करना होगा। धूम्रपान, शराब व नशीली गोलियों का सेवन केवल हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाता है बल्कि अपरोक्ष रूप से उससे जुड़े हर व्यक्ति को अपाहित बना देता है। आज बड़ों की देखा-देखी छोटी उम्र के बच्चे नशा करने लगे हैं बेहद चिंता का विषय है। इसलिये हमें नशे से दूर रहना चाहिये। चिकित्सक डॉ० राकेश तोमर ने बताया कि नशा न केवल व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को डंवाडोल करता है। बल्कि उसके पूरे परिवार को तहस-नहस करता है। माँ, बाप, पत्नी व बच्चे सभी अप्रत्यक्ष रूप से इस नशे का शिकार होते हैं। साथ ही बच्चा अपने पिता को पीता देखकर खुद को भी पीने से नहीं रोक पाता है। हमें नशा बेचने वालों की शिकायत स्थानीय प्रशासन को करनी चाहिए ताकि अपने आस-पास के लोगों को नशे की गिरफ्त में आने से बचाया जा सके।
5. **पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम:-** ग्राम बरझाला जनपद फर्लखाबाद में आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय अवध स्कूल के बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया हम अपने आस-पास के वातावरण को कैसे संरक्षित रखें और शुद्ध वायु प्राप्त करें, विषय पर वन क्षेत्राधिकारी श्री संजय सिंह ने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि तरह पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। वृक्षों को अंधाधुंध काटा जा रहा है। उनके अनुपात में वृक्षारोपण नहीं हो रहा है। आज

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

आर प्रेक्ष अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति शिक्षण संस्था  
बकुली मण्डल / गिर्जा धाम जे सामने!! एच 5-नी,  
खीपेटो रोड, ...



जरूरत है। कि हम अपने सुख-सुविधाओं से परे हटकर सोचें किस तरह समाज हम अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं। जगह-जगह गंदगी, कूड़ा-करकट, प्रदूषण, शोर इस कदर बढ़ गया है। कि हम इस पर यदि नियंत्रण नहीं किता तो आने वाले समय में स्थिति अत्यधिक गम्भीर होगी। प्रमुख समाजसेवी एवं ग्रीन ऐरा के पत्रकार संपादक श्री शिवचरण सिंह रावत ने बताया कि किन कारणों से हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाता जा सकता है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हमें सिर्फ अपने आधुनिकीकरण एवं प्राकृति संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोककर नियंत्रित तरीके से करने की जरूरत है।

6. **औषधीय पौधों एवं उनका समुचित उपभोग:-** स्थान दयानन्द इंटर कालेज नबावगंज में स्थित तीन दिवसीय पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रम को संस्था ने पूर्व प्रमुख वन संरक्षक डॉ० राम लखन सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए विभिन्न वक्ताओं ने औषधीय पौधों को लगाने और उसके औषधीय गुणों से लाभ उठाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। पुरातन काल से चली आ रही हमारी भौतिक धरोहर जड़ी बूटियाँ हैं। जिनका उपयोग हमारे ऋषि मुनि एवं वैद्य किया करते थे। स्थानीय आदिवासी लोग आज भी इनका उपयोग करते हैं। आज जरूरत है हमें इस ज्ञान को संरक्षित करने एवं भावी पीढ़ी तक पहुँचाने की ताकि समाज का एक बड़ा वर्ग इसका लाभ उठा सके। संस्था की तरफ से सभी लोगों को केन्द्रीय औषधीय एवं सुगन्धीय पादप केन्द्र (सीमैप) का तीन दिवसीय दौरा कराकर वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा औषधीय एवं सुगन्धीय पौधों की लानकारी दिलाई। तथा उनके कैसे उत्पाद बनाकर वाणिज्यिक लाभ लिया जा सकता है। वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे आस-पास के पर्यावरण में एवं मृदा में हो सकने वाले प्रजातियों के बारे में भी डॉ० श्रीकान्त त्रिपाठी ने विस्तार में चर्चा किया और बच्चों को एक-एक ब्राह्मी का पौधा उपहार में दिया इस कार्यक्रम से लोगों में औषधियों के प्रति रुझान बढ़े एवं पारम्परिक खेती को छोड़कर अल्प समय में इन पौधों को उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ उठा सके। संस्था के अध्यक्ष डॉ० शैलेन्द्र ने विभिन्न प्रजातियों के पौधों एवं बीजों को कहीं से प्राप्त करें और अपने पैदा किये गये उत्पाद को अच्छे मूल्य पर कहीं विपणन करें, विस्तार से बताया। बाद में संस्थान द्वारा एक पम्पलेट भी वितरित किया गया।

7. **वृक्षारोपण सम्बन्धी कार्यक्रम:-** पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय एवं भारत सरकार की राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड के द्वारा प्रायोजित वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत जनपद फर्रुखाबाद के ब्लॉक कायमगंज के गाँव परोरी में वृक्षारोपण हेतु जमीनी कार्य किया गया। इस योजना के तहत वर्ष 2011-12 में वृक्षारोपण प्रस्तावित है। संस्था द्वारा चयनित भूमि पर स्थानीय वन क्षेत्राधिकारी एवं सम्पादकीय वनाधिकारी की उपस्थिति एवं देखरेख में गड़ढा खोदने का कार्य किया गया। तकरीबन 50-60 मजदूरों ने महीने भर लगातार कार्य करते हुए 55000 गड़ढे खोदे। फिर संस्था द्वारा सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नालियाँ बनवाई गईं तथा तालाबों को साफ करवाकर बरसाती पानी को रोकने का काम किया गया। वृक्षारोपण जुलाई, अगस्त 2011 में होना है। गड़ढे में बरसाती जल इकट्ठा किया जायेगा। ताकि आवश्यकता पड़ने पर वृक्षों की जलापूर्ति की जा सके इस दौरान एक पर्यावरण जागरूकता गोष्ठी का भी आयोजन किया गया जिससे इस वृक्षारोपण से ग्राम समाज को होने वाले लाभ को बताया गया। फल, पत्ती, एवं जलाउ लकड़ी को इस वृक्षारोपण से गरीबी को फायदा होगा। वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम:- संस्था मुख्यालय पर दिनांक 31 मार्च 2011 को संस्था की साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति व कर्मचारीगण के मध्य वार्षिक अधिवेशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में किए गये क्रियाकलापों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ग्राम सभा के मध्य रिपोर्ट की समीक्षा की गयी। समीक्षा के उपरान्त अगले वित्तीय वर्ष 2011-12 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित बजट का अनुमोदन किया गया तत्पश्चात् संस्था के समस्त पदाधिकारियों कर्मचारियों एवं सदस्यों को सामाजिक क्रियाकलापों में सहयोग हेतु अभिनंदन किया गया।

8. **कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र-** समिति का उद्देश्य प्रस्ताव के अन्तर्गत चयनित जनपदों अनुसूचित जाति के परिवारों के शिक्षित बच्चों को जो हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण उन बच्चों दिया जायेगा। जा चयन प्रक्रिया के आधार पर चयन किये गये हैं। प्रति प्रशिक्षण पर 30 बच्चों का बैच प्रशिक्षण पा सकेगा। यह बच्चे प्रशिक्षण पाकर स्वःरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और सरकारी, अर्धसरकारी कम्पनियों में नौकरी प्राप्त कर स्वालंबी बन सकते हैं।

9. **पेयजल योजन:-** चयनित जनपदों के विकास खण्डों व उनकी ग्राम पंचायतों में पानी की व्यवस्था, मलिन बस्तियों में सार्वजनिक स्थानों, विद्यालयों, अम्बेडकर पार्कों, मन्दिर, बस्तियों में हैण्डपम्प निर्माण कराकर व्यवस्था की जाएगी सरकारी कार्यालयों के माध्यम से समिति का उद्देश्य मान्य होगा।

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान

बापूजी नरसैत, जिला कार्यालय के सामने, एच डूजी,

जी०डी० रोड, ...



10. **भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार:-** मन्त्रालय आदेश के अन्तर्गत महिलाएँ बच्चे, को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का एकमात्र उद्देश्य है। जिनकी आयु सीमा 6 वर्ष-14 वर्ष के बीच होगी। सभी वर्गों के छात्र/छात्राये हेतु सामान्य सहायता योजना के अन्तर्गत जनता सुधार शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के नाम से प्रति प्रशिक्षण पर बच्चों की संख्या 100 रहेगी। दो बैचों के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। प्रति बैच में 50 बच्चे तथा बच्चियाँ प्रशिक्षण पा सकेंगी। जिसमें दस कर्मचारियों का स्टाफ भारत सरकार से वित्त-पोषित होने पर वेतनमान दिया जायेगा। जो 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच, 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय बैच संचालित रहेगा। मध्य में लंच भी किया जायेगा। यह प्रस्ताव जिला प्रोवेशन अधिकारी के माध्यम से निदेशक महिला कल्याण (उ.प्र.) और शासन में प्रेषित है।
11. **सुलभ शौचालय निर्माण हेतु:-** समिति द्वारा कार्यक्रम समस्त चयनित जनपदों में अनुसूचित जाति के परिवारों में बी.पी.एल. कार्ड के अन्तर्गत तथा अन्योदय कार्ड के तहत सुलभ शौचालयों की व्यवस्था अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों में करायी जायेगी।
12. **स्वास्थ्य सामुदायिक केन्द्र:-** समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत चयनित जनपदों में विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में एक स्थान पर सामुदायिक केन्द्र स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में निःशुल्क दवाइयाँ तथा इलाज किया जायेगा। ग्रामीण जनता को इलाज हेतु सुविधा प्राप्त होगी, अनुसूचित जाति के परिवारों को।
13. **वृद्धा आश्रम हेतु :-** अनुसूचित जाति के परिवारों में जिनका कोई सहारा नहीं है, वृद्धा आश्रम में निःशुल्क रहन-सहन भोजन, पुस्तकें, अखबार, आदि की सुविधा। जिनकी आयु सीमा 60 वर्ष से ऊपर वालों के आस-पास आती है।
14. **समिति का उद्देश्य:-** अनुसूचित जाति वाले परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पुत्रियों, की शादी हेतु सहायता, इलाज हेतु सहायता बी.पी.एल कार्ड के अन्तर्गत सहायता समाल कल्याण विभाग द्वारा सहयोग कराना, औश्र आवासों का निर्माण विकास खण्डों के द्वारा कराना समिति का उद्देश्य है। समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत।
15. **मोबाइल डिस्पेंसरी:-** अस्पताल, चलता-फिरता ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क दवाइयाँ वितरण करना, अनुसूचित जाति की बस्तियों में।

समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रधान कार्यालय, मण्डलीय कार्यालय, जिला, कार्यालय, प्रशिक्षणा केन्द्र की स्थापना हेतु जिला स्तर से प्रस्ताव संस्तुति के अन्तर्गत समिति द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में जो चयनित जनपदों में समिति अनुसूचित जाति के निर्बल परिवारों में विकास योजनाओं के अन्तर्गत विकास कराना चाहती है।

यह समिति का उद्देश्य इस कारण कार्यालयों की स्थापना की जाये गयी है। जो प्रस्तावित है।

**भवदीय**

**आर.बी.वार्म**  
**अध्यक्ष (समिति)**

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

अन्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/विश्वी जाति विकास संस्था  
कानपुर मंडल । जिनो धाम के ...  
00000 टेल. ....



# भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोयाबादशाहपुर (एटा)

## प्रधान कार्यालय

जयनरान वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्रुखाबाद (उ.प्र.)

## वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

वर्ष (2016-2017) 31 मार्च तक

भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति लोयाबादशाहपुर जनपद-एटा द्वारा संचालित प्रधान कार्यालय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान जयनरान वर्मा रोड फतेहगढ़-फर्रुखाबाद में वर्ष 1991 से प्रधान कार्यालय स्थित है इससे कार्यालय से मस्त की देख रेख की जाती है।

समिति के विधान के उद्देश्य के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रस्तावों को अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के गरीब और परिवारों में जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने को जैसे पुरुष/महिलाएँ/छात्राएँ/छात्र/विकलांग/मूक, बरिध आदि विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में शिक्षित तथा अशिक्षित को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का एक मात्र उद्देश्य है।

### महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों

महिला सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर 75 प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत रहेंगे। जिसमें अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के परिवारों की महिलाएँ/छात्राएँ/विकलांग जिनकी आयु सीमा 14 वर्ष से 40 वर्ष की अवधि के बीच की होगी। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन समय दिन में 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम बैच में 40 प्रशिक्षण कार्य सीखेगी तथा 2 बजे से 4 बजे तक द्वितीय बैच में 35 प्रशिक्षण कार्य सीखेगी। जिसकी अवधि 6 माह तथा 1 वर्ष की होगी। प्रशिक्षणों केन्द्रों में कार्य निःशुल्क दिया जायेगा।

प्रति प्रशिक्षण केन्द्रपर स्टाफ कर्मचारीगण 1-संचालन अधिकारी को मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह 2-अनुदेशिकाओं का मानदेय वेतन 10000/- रुपये प्रतिमाह प्रति को लेखा लिपिक 6000/-रुपये प्रतिमाह मानदेय वेतन 3000/- रुपये आया/सहयोगी प्रतिमाह 3000/- रुपये चौकीदार को प्रतिमाह मानदेया वेतन 2000/- रुपये प्रति माह सफाई कर्मि को मानदेय वेतन प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर ढावन स्वामी को किराये वास्ते 6000/- रुपये प्रतिमाह समिति ने अपने संशोधनों से धनराशि दी।

प्रशिक्षण केन्द्रों का समय पर जांच निरीक्षण आंख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा तथा उपनिदेशक समाज कल्याण अधिकारी कानपुर द्वारा की गयी। मुख्य विकस अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा संस्तुति के तहत निदेशक समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ को/निदेशक समाज कल्याण की कार्यवाही के अन्तर्गत, विशेष सचिव उ०प्र० शासन-समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ तथा विशेष सचिव की कार्यवाही के अन्तर्गत अवर सचिव/अनुसचिव भारत सरकार के समाज कल्याण मन्त्रालय/सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली में पूर्व वर्षों से प्रस्ताव प्रेषित है।

### 1. महिला सिलाई कढ़ाई, बुनाई, प्रशिक्षण संचालित किये जायेंगे जैसे-

1. मुहल्ला जंगवाज खां घोड़ा नकास पुलिस चौकी फर्रुखाबाद में राधेश्याम जयन्त भवन स्वामी के मकान में किराये पर 2. मुहल्ला भोलेपुर फतेहगढ़, फर्रुखाबाद के प्रेमदास सुमन के भवन पर किराये पर 3. जगदीश प्रसाद वकील ग्राम याकूतगंज विकास खण्ड बड़पर फर्रुखाबाद में 4. राकेश कुमार मिश्रा मुहल्ला जटपुरा शमशाबाद फर्रुखाबाद में 5. शंकरलाल ग्राम-अजमतपुर कुंआ खेड़ा तहसील कायमगंज फर्रुखाबाद में 6. बाबूराम यादव- मुहल्ला शान्तीनगर एटा 7. सर्वेन्द्र कुमार तोमर अवागढ़ हाऊस एटा में 8. स्व० विनोद कुमार श्री वास्तव बहारपुर इटावा 9. मनोज कुमार श्री वास्तव वकील मुहल्ला कटरा, फतेहमहमूद खां इटावा 10. डा० राकुमार रसूलाबाद कानपुर नगर 11. रघुवीर सिंह मुहल्ला अम्बेडकर कालौनी अतरौली अलीगढ़ 12. गेदालाल भोगांव रोड़ मैनपुरी 13. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा ग्राम-तालग्राम कन्नौज 14. विशम्बरनाथ शुक्ला सिकन्दरपुर कन्नौज 15. नैकूलाल- ग्राम पहाड़पुर (सिरौली) विकास खण्ड मोहम्मदाबाद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत उक्त प्रशिक्षण संचालित रहे। प्रति प्रशिक्षण केन्द्र पर सामग्री 5 सिलाई मशीने परैदानों की 10 सिलाई मशीने हाथ की कपड़ा

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान  
एटा, जिला लोयाबाद, फर्रुखाबाद जिला, उत्तर प्रदेश  
फर्रुखाबाद रोड, एटा



काटने हेतु मेजज कुर्सी तथा 10 स्टूल 5 मेजे, 3 अलमारी, फर्श, शीशे की अलमारी छोटे कपड़ों वास्ते। कैची, इंचीटप, कपड़ा-धागा सुई बटन प्रैस कपड़ो वास्ते लिखने वास्ते क्रापिया प्रेक्टिस हेतु फाइले दी गयी। उक्त प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्व:रोजगार प्राप्तकर छोटे बड़े कपड़े तैयार कर बालारो में विक्रय कर सकती है। शिक्षित महिलाएँ/छात्राएँ-सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट नौकरी प्राप्त कर सकती है। ऐसे परिवारों में जाग्रत की लहर उत्पन्न हो सकती है। प्रति चयन जनपदों में प्रस्तावित अन्य योजना के तहत प्रशिक्षण पाकार स्वावलम्ब बन सकती है। प्रति जनपद दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाये कार्यालय स्थापित कर। जैसे- अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूँ, मुरादाबाद, विजनौर, ज्योतिवाराव फूलनगर, सम्मल, मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, गीतमकुल्ल नगर (नौएडा) हापुड, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, कानपुर नगर, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बांरवकी, अम्बेडकरनगर, गौण्डा, बहरांइच, बस्ती, सन्तकवीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, आजमगढ़, मऊ, झौंसी, जालौन (उरई) में आदि। अन्य जनपद प्रशिक्षण केन्द्र संचालित होंगे।

2. **राष्ट्रीय पर्व पर आयोजन:-** 15 अगस्त, 25 जनवरी एवं 2 अक्टूबर के पावन अवसरों पर संस्था के मुख्यालय भवन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय स्कूल के छात्र-छात्राये अभिभावक गणमान्य अतिथि एवं सैनानी श्री जय शंकर गुप्ता ने भाग लिया। झण्डारोहण के पश्चात् छात्र-छात्राओं द्वारा लोक गीत एवं देश भक्ति गीतों का प्रस्तुत किया गया। साथ ही आजादी के बाद का भारत नामक शीर्षक से एक वाद-विवाद संस्था के अध्यक्ष तथा सैनानी श्री गुप्ता जी के द्वारा पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने आजादी के सही मायने बच्चों को बताते हुए अपील की कि वे देश के लिए अपने आप को समर्पित करें अच्छे नागरिक बनें और देश के अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर सबसे आगे जे जाने का प्रयास करें माहत्मा गाँधी को याद करते हुए उन्होंने उनके आदर्श सत्य एवं अहंसा का पालन करने की सलाह दी एवं देश की आजादी में बापू के योगदान पर चर्चा की। इसके बाद सूक्ष्म जलपान कर सभा का समापन किया गया।

3. **जनसंख्या नियंत्रण कैम्प:-** स्थान लोयाबादशापुर (एटा) में संस्था की तरफ से एक अयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र डॉ० अशोक ने एक परिवार में दो से ज्यादा बच्चे न हों ऐसा संकल्प लेने का आवाहन किया। गरीबों खासकर अल्पसंख्यक वर्गों को इंगित करते हुए कहा कि आज परिवार नियोजन के तमाम तरीके सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। जिनका उपयोग कर परिवार को नियंत्रित किया जा सकता है। कम जनसंख्या होने पर सरकार द्वारा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा एवं भोजन आदि उपलब्ध कराया जा सकता है। बेरोलगारी दूर होगी तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में तरक्की होगी। संस्था के सचिव ने आबादी पर अंकुश लगाने पर जोर देते हुए कहा कि संस्था परिवार नियोजन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ने पर सम्पर्क करें ताकि उसका निदान किया जा सके।

4. **युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम-** वर्ष 2012-13 में जिसे युवा वर्ष का नाम दिया गया था युवाओं की देश के प्रति बढ़ती भागीदारी पर बोलते हुए ब्लाक ईतानगर जिला लखीमपुर खीरी के अध्यक्ष अबरार अहमद ने कहा कि आज के युवा देया की रीढ़ है। अच्छी शिक्षा एवं अच्छे आचरण से हम अपने गाँव, शहर, प्रदेश एवं देश को उन्नतशील एवं समृद्ध बना सकते हैं। संस्था के उपाध्यक्ष ने भारत सरकार द्वारा युवाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को विस्तार से बताते हुए इस बात पर जोर दिया किया आज के युवा आगे आये और इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग युवाओं के लिए चालू योजनाओं का लाभ कहीं से और कैसे लें इस बात को विस्तार से बताया गया।

5. **उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम:-** बढ़ती जनसंख्या एवं उपभोगवाद संस्कृति को देखते हुए विभिन्न देशी-विदेशी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को बेचने के लिए अपनाये जा रहे हथकंडों के बारे में जागरूक करते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण समिति के सदस्य श्री अवध नाथ पाल ने बताया कि बहुत से उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं रखते इसके पीछे ने करण उनका अशिक्षित होना, दूसरी सरकार द्वारा गाँव देहात में उपभोक्ता अधिकारों की गोष्ठी एवं सभाओं का आयोजन न करा पाना। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पहाड़पुर सिरौली एवं जनपद फर्रुखाबाद में किया गया। हमें अच्छे एवं घटिया उत्पादों को पहचानने, मिलावटी सामानों का पता लगाना एवं घटतीली आदि की जानकारी कैसे करे बताया गया। इस अवसर पर अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र सिंह सदस्य फर्रुखाबाद बार काउंसिल ने बताया कि उपभोक्ताओं को उत्पादक

अध्यक्ष  
प्रधान कार्यालय  
असत ज्योति अग्रगणित छात्र/छात्रा



कम्पनी द्वारा शिकायत न सुने जाने पर कहाँ और कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराए इस कार्य को अधिवक्ता के द्वारा भी एवं स्वयं के द्वारा भी किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी जनपद के कचहरी न्यायालय में जिला उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

6. ग्रामीण विकास कार्यक्रम:- ग्राम कम्पौली जनपद-फर्रुखाबाद में आयोजित एक दिवसीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम में बोलते हुए खण्ड विकास अधिकारी नवाबगंज ने बताया कि ब्लाक स्तर पर ग्रामीणों को मिलने वाली तमाम योजनाएं और कैसे प्राप्त किया जाए को किसान भाई सुनें एवं लाभ उठाएं। ग्राम देहात में उपलब्ध संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए रोजगार के अवसर पैदा करें तथा अपना आर्थिक स्तर सुधारें। पंचायत सचिव श्री बाबा मिश्र ने बताया कि ग्रामों में सड़क रोजगार, पीने के पानी के लिए हैंड पम्प आदि को लिखित आवेदन पर ब्लाक से प्राप्त किया जा सकता है। सड़कें राजीव गाँधी ग्राम सड़क योजना तहत कर बनवायी जा सकती है। जिन गाँवों में पंचायत भवन बनाकर जिला विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा। अन्य ढेर सारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष डॉ० शैलेन्द्र ने बताया कि देश की खुशहाली एवं तरक्की गाँव देहात के लोगों की तरक्की एवं खुशहाली से ही संभव होगी। अच्छी फसल गाँव-गाँव सड़कें बिजली, पानी शिक्षा आदि की पर्याप्त उपलब्धता हो तभी हम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकेंगे।

**भवदीय**

**आर.बी.वार्म**  
**अध्यक्ष (समिति)**

**अध्यक्ष**

**प्रधान कार्यालय**

**उत्तर प्रदेश अयुक्तित्व प्राधिकारी कृषि विकास संस्थान**  
**बागुली मार्केट, किल्लो बाम के राजने!! एच पुंजी,**  
**जी०टी० रोड, २०११-१३**



## संशोधित नियमावली

(16)

संस्था का नाम : भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति  
 संस्था का नाम : लोया मादशाहपुर, पोस्ट-खास, जनपद-एटा 30 प्र०  
 संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उत्तर प्रदेश एवं भारतवर्ष  
 संस्था के उद्देश्य : संलग्न स्मृतिपत्र के अनुसार है।

संस्था के सदस्यों की योग्यता-

- 1) भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 2) महिला एवं पुरुष नागरिक हों। आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- 3) संस्था का सदस्य यदि जनता द्वारा चुना हुआ हो या किसी पद पर हो या किसी भरावरी नौकरी में हो सदस्य बनाया जा सकता है।
- 4) संस्था में प्रत्येक सदस्य हस्ताक्षर करने के लिए पता होना चाहिए।

संस्था के सदस्यता के वर्ग-

- 1) आजीवन सदस्य
- 2) साधारण सदस्य
- 3) विशिष्ट सदस्य



आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को एकमुश्त 25000 से 100000 रु० खन्दा दान के सहयोग में देगा वह व्यक्ति आजीवन सदस्य समिति एवं अस्थायी रूप से कर्मचारी बन सकता / सकती है।

साधारण सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 500 से 2000 रु० खन्दा दान के सहयोग में देगा वह व्यक्ति साधारण सदस्य समिति एवं अस्थायी रूप से कर्मचारी बन सकता/सकती है।

प्रतिष्ठित  
 अध्यक्ष एवं निदेशक  
 लोया मादशाहपुर, एटा



सत्य तिलिपि  
 प्रमाणित  
 आर. बी. वर्मा  
 अध्यक्ष  
 लोया मादशाहपुर, एटा



विशिष्ट सदस्य

17

जो व्यक्ति संस्था को एकमुश्त 100 से 1000 रु0 चन्दा दान के सहयोग में देगा वह व्यक्ति साधारण समिति एवं अस्थायी रूप से कर्मचारी बन सकता/सकती है।

सदस्यता की समिति -

- 1) मृत्यु होने पर।
- 2) पागल होने पर।
- 3) टोखा लिया होने पर।
- 4) सदस्यता शुल्क न देने पर।
- 5) न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

संस्थ के अंग-

- (1) साधारण सभा।
- (2) प्रबन्धकारिणी सभा।

- 1) गठन :- साधारण समिति का गठन सभी प्रकार के सदस्यों को सम्मिलित करने के उपरान्त किया जायेगा।
- 2) बैठक :- साधारण समिति की बैठक एक मास में एक बार होगी यह बैठक अध्यक्ष को निर्णय से ही की जायेगी, बैठक समय निर्दिष्ट दिनांक में ही होगी।
- 3) स्थान :- एजेन्डा द्वारा सूचित किया जायेगा जो साधारण बैठक में स्थान के विषय में प्रस्ताव पारित कर लिया जायेगा।
- 4) बैठक की सूचना :- सभी सदस्यों को साधारण समिति की बैठक की सूचना एजेन्डा या उचित माध्यम से बैठक की तिथि से 7 दिन पूर्व दे दी जायेगी।
- 5) विशेष बैठक :- विशेष बैठक संस्था के स्मृति पत्र और नियमावली संशोधन हेतु प्रस्ताव विशेष बैठक में पारित होंगे। उन प्रस्तावों की स्वीकृति अध्यक्ष देगा। विशेष बैठक में किसी भी इमरजेन्सी के कारण संस्था के हित के लिए बुलाई जा सकती है। जिसकी सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी।



सत्य इति लिपि

सत्य इति लिपि

प्रमाणित

3/11/2011

सचिव  
संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध  
कार्यकर्मियों, 2011



कार. बी. वर्मा  
अध्यक्ष



6) गणपूर्ति : बैठक की कार्यवाही उस दशा में प्रारम्भ होगी जब सदस्यों के योग के दो तिहाई सदस्य उपस्थित हों। अन्यथा बैठक कोरम के अभाव में अध्यक्ष द्वारा स्थागित कर दी जायेगी।

7) विशेष वार्षिक अधिवेशन :- वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होंगी, जिसका स्थान, दिनांक एवं समय का अनुमोद प्रबंधकारिणी समिति करेगी।

8) साधारण सभा के अधिकार व कार्य :-

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा पर विचार करना।
2. संस्था के समय खर्चें पारित करना।
3. बैलेंसशीट पर विचार करना।
4. अगले वर्ष का योजना बनाना।
5. अगले वर्ष का बजट बनाना।
6. अन्य प्रकार के संस्था के समस्त कार्यों को पढ़े हो, को तय कर देना।
7. कर्ण/अनुदान के लिए योजना तैयार करना।
8. संस्था की प्रकृति के लिए जो भी अन्य कार्य हो, को तय करना।



9) चुनाव :-

1. प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा।

2. आजीवन अध्यक्ष होगा।
3. चुनाव की सूची प्रक्रिया यदि कोई सदस्य अध्यक्ष, बोधाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु विरोध करके खड़ा होता है, तो आप सुविधा अध्यक्ष के आदेशानुसार फोड पद्धति द्वारा की जायेगी।



साथ - लिखित  
आर. बी. वर्मा  
अध्यक्ष

सचिव

उप निदेशक  
एन सी वाइएल  
धरम चं न, जयपुर



1. नाम निर्देशन वापस लेना ।
2. नाम निर्देशन पत्रों का निरीक्षण करना ।
3. नाम निर्देशन सूची का प्रदर्शन करना ।
4. नाम निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्तियों का निम्नकारण ।
5. विधि अन्य नाम निर्देशन की सूची का प्रदर्शन और प्रिजापन ।
6. नाम निर्देशन के सम्बन्ध में आपत्तियाँ प्रस्तुत करना ।
7. नाम निर्देशन वापस लेना ।
8. नाम निर्देशन की वापसों के पश्चात् यदि कोई हो तो सूची को अन्तिम रूप देना ।

विभागाध्यक्ष  
प्रशासिका  
गिरिदा  
रघुशंकर

4. उपयुक्त व्यक्ति को चुनाव हेतु निर्धारित अधिकारी रजिस्टर्ड सोसाइटी एक्ट चिट्स 30 प्रो एक्ट ही करेगा ; अन्यथा संस्था किसी किसी भी राज अधिकारी को चुनाव अधिकारी के रूप में निर्णय नहीं हो और किसी को आपत्ति न हो
5. चुनाव के दौरान कोई भी धर्म अंग नहीं लगेगा । चुनाव का कार्य सुचारु रूप से चलता रहेगा । चुनाव में भी अपनी प्रवृत्ति होगा । उसके सम्मानित तत्त्व पद का कार्य सौंप दिया जायेगा
6. निर्वाचन अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष के द्वारा प्रारित किया जायेगा ।



साधारण सनिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष के द्वारा प्रारित किया जायेगा ।

संस्था अधिकारी  
को अधिकार  
व कर्तव्य  
के विषय  
में  
संस्था अध्यक्ष  
के द्वारा प्रारित किया जायेगा



सत्य प्रतिलिपि  
प्रमाणित  
3/11/91  
श्री. जी. सी. वर्मा  
संस्था अध्यक्ष  
संस्था अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष के द्वारा प्रारित किया जायेगा  
101 बुली. जी. सी. वर्मा, बल्लोच



2. सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्रों की संस्तुति प्रदान करना, व सदस्यता से अलग करने की स्वीकृति अध्यक्ष से लेना।
3. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना।
4. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
5. समिति के कागजातों का रख-रखाव ठीक प्रकार से रखना तथा समस्त कागजातों को लिखकर पूरी करने पकी व्यवस्था करना।
6. पारिश्रमिक का भुगतान किसी भी सदस्य को उन सेवाओं के लिए जो उसने संस्था के लिए की है पारिश्रमिक दिया जायेगा।
7. साधारण बैठक में सदस्यों के वेतन, मजदूरी, भत्ते व अन्य भुगतान हेतु विचार विमर्श करके प्रस्ताव पारित होकर भुगतान किये जायेंगे, जो प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा पारित किया जायेगा।

महिला  
संस्था  
की  
सदस्यता

12. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन :-

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति सदस्यों द्वारा चुनी जायेगी, जो साधारण सभे में निर्वाचित हो गयी है।
2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बोध्याध्यक्ष, मंत्री, कार्यालय सचिव, ऑडिटर पदेन सदस्य पाँच कुल संख्या 9 होगी।
3. बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक हर साल में दो आयोजित की जायेंगी। जिसकी तिथि बैठक में तय कर दी जायेगी। विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।



सत्य प्रतिनिधि

उप निदेशक  
आई सी आर के एन एन विद्या  
वायस बं न, 41-2-15

10/01/2016



सत्य प्रतिलिपि  
प्रमाणित  
31.12.2015  
डॉ. व. व. व.  
सचिव  
आई सी आर के एन एन विद्या  
वायस बं न, 41-2-15

4. सूचना अणधि - सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों की बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन अथवा विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
5. गणपूर्ति - बैठक की गणपूर्ति दो तिहाई बहुमत सदस्यों की उपस्थिति होने पर पूर्ण होगी। अथवा बैठक का कोझ पूर्ण न होने पर कारण अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दी जायेगी।
6. कार्यकाल - प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा।

**12. प्रबंधकारिणी समिति।**

1. संस्था की उन्नति के लिए कार्य करना।
2. भूमि, भवन खरीदना व बनवाना आदि।
3. संस्था के लिए भ्रण/अनुदान की व्यवस्था करना।
4. प्रचार आदि की पूर्ण व्यवस्था करना।
5. नियमावली, स्मृति पत्र में संशोधित आदि की कार्यवाही की संस्तुतियों पर निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना।
6. साधारण समिति की संस्तुतियों पर निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना।
7. परीने आदि और प्र... ब माल लाने हेतु बाहम...
8. रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों को रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से की जायेगी।



1. अध्यक्ष के अधिकार व कार्य के समस्या व आवश्यक बैठक की अध्यक्षता करना।
2. संस्था की बैठक में समस्त मत आने पर निर्णय लेना।
3. संस्था के सभी कार्यों का निरीक्षण करना।
4. आवश्यकता होने पर संस्था को दस हजार रूपये तक व्यय करने का अधिकार।

सत्य प्रतिकल्पि  
प्रमाणित  
व्यय करने का

31.12.04  
आर. डी. वर्मा  
अध्यक्ष

आर. डी. वर्मा  
अध्यक्ष  
आर. डी. वर्मा  
अध्यक्ष



सत्य प्रतिकल्पि

आर. डी. वर्मा  
अध्यक्ष  
आर. डी. वर्मा  
अध्यक्ष



5. संस्था के पदाधिकारीगण, सदस्यों को उचित सलाह निर्देश देना।  
अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभी प्रकार के कार्य जो अध्यक्ष करता है।

मंत्री

1. बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को उचित माध्यम से देना।
2. संस्था की बैठक अध्यक्ष की सहमति से आयोजित करना
3. बैठक की कार्यवाही का संचालन करना।
4. संस्था के आय व्यय की सूचना पटल पर रखना।
5. संस्था के कार्यों में अध्यक्ष की सहमति से एक हजार रूपये तक व्यय करने का अधिकार होगा।
6. ऋण/अनुदान आदि सभी प्रकार के कार्य करना।

*Handwritten notes in Hindi:*  
संस्था के कार्य  
अध्यक्ष की सहमति से  
एक हजार रूपये तक व्यय  
करने का अधिकार होगा।

कार्याधिकारी-

1. संस्था के धन की समस्त व्यवस्था करना।
2. संस्था के धन को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना व निकालना।
3. संस्था के आय व्यय समस्त लेखा जोखा करना।
4. अध्यक्ष के निर्देशानुसार रूपया निकालना।
5. समस्त कागात का लेखा जोखा करना।
6. कोषाध्यक्ष यदि मीटिंग में नहीं जाती है तो कोषाल अध्यक्ष के नाम ही राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला जायेगा तथा धन निकाला जायेगा।



कार्यालय सचिव-

समस्त कार्यालय की व्यवस्था करना एवं भारत सरकार से भी अनुदान लहायता आयेगी। इस धनराशि को ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यक्ष के निर्णय से बंटवाने का अधिकार होगा।

**सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित**

आडिटर-

सत्य प्रतिलिपि

समस्त लेखा जोखा का आडिट करना तथा निरीक्षण करना आदि।

*Handwritten signature and notes:*  
सत्य प्रतिलिपि  
आडिटर का पद



*Handwritten signature and notes:*  
21/2/2021  
अध्यक्ष  
सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित  
आडिटर का पद

23

33

उद्योग विभाग एवं मंत्रालयों एवं विदेशों से सहायता एवं अनुदान लेगी। उसकी वापसी हेतु संस्था के प्रत्येक सदस्य की चल अचल सम्पत्ति से ऋण/अनुदान की वसूली का अधिकार सरकार को होगा। पूर्व में घटाए गये सदस्यों से वापस करने का अधिकार होगा।

संस्था का जो भी अध्यक्ष होगा वह संस्था का संस्थापक के नाम से भी कहा जा सकता है, संस्था का अध्यक्ष संस्था का आजीवन सदस्य है।

39. संस्था का अभिलेख-

- 1. सदस्य रजिस्टर
- 2. कार्यवाही रजिस्टर
- 3. एजेण्डा रजिस्टर
- 4. कैश बुक आदि



संस्था के विधिवत निस्तारण का कार्यवाही सोसाइटीज रजि० एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत होगी।

दिनांक 26.11.69

प्रबन्धकारिणी सभिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

- 1. विमला देवी
- 2. सुमति देवी
- 3. जगदीश्वरी
- 4. रघुशंकर

सत्य प्रतिलिपि

कार्यवाही रजिस्टर  
घाणसी 4, भावसा



सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

आर. पी. उमा

अध्यक्ष

राष्ट्रीय उद्योग क्षेत्र संगठन के अध्यक्ष  
राज्य की मार्केट "जमा" कार्यालय  
एन. यु. पी. एम. टी. एन. एम. एम.

16-11-1969



## संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम - भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
2. संस्था का पता - लोया बादशाहपुर पोस्ट खास जनपद एटा (30 प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत
4. संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु :

(1)-उद्देश्य की पूर्ति हेतु - कार्यक्षेत्र में सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कारीगरों पुरुषों/महिलाओं की उन्नति हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई प्रशिक्षण केंद्रों के अंतर्गत निर्बल गरीब परिवारों की महिलाओं हेतु सम्पूर्ण भारत में विकास करना.

(2)- विभिन्न-विभिन्न योजनाओं के प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था कर ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 20 प्रतिशत विकास कार्य करना.

(3)- विकास योजनाएं, हेतु आर्थिक सहायता, जिला समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड/जिला परिषद/जिला विकास विभाग/जिला पंचायत राज विभाग/ जिला कार्यक्रम विभाग जिला प्रोफेशन विभाग/ जिला पिछड़ा वर्ग विभाग/जिला कृषि विभाग/ जिला मत्स्य विभाग/ जिला ढूँढा विभाग/ जिला खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/ समाज कल्याण बोर्ड/ जिला उद्यान विभाग/ विकास खंडों/अन्य विभागों बभारत सरकार के मंत्रालयों/विदेशों/ राज्य सरकारके उक्त विभागों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से संस्था की उन्नति हेतु आर्थिक वित्त पोषित सहायता निर्बल गरीब परिवारों जैसे, अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/जनजाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यक जैसे- पुरुषों/महिलाओं छात्र/छात्राएं/विकलांगों/नेत्रहीनों/मूकबधिरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के अंतर्गत शिक्षा, उत्थान, कौशल विकास योजनाएं, भवन निर्माण, पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण शौचालय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सूअर पालन, बकरी व भेड़ पालन, भैंस पालन/गौशाला ग्राम पंचायत की मनरेगा योजना में सहयोग कराना.

(4)- जनता का सुधार सम्पूर्ण भारत में शिक्षा कार्य, विद्यालय क्रीड़ा स्थलों, पुस्तकालयों, अम्बेडकर पार्क/मूर्तियों अन्य योजनाओं में सुचारु रूप से सहयोग व स्थापना करना.

(5)- खादी के वस्त्र जैसे- सूती, टेरीकोट, रेशम, ऊनी, खादी के नए-नए छोटे-बड़े कपड़ों पर कढ़ाई कराकर पुरुषों/महिलाओं, बच्चे, बच्चियों हेतु बाजारों में भेजकर स्वतः रोजगार उपलब्ध कर सकते हैं.



(6)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, शिक्षित बेरोजगारों युवकों/युवतियां निधन निर्बल परिवारो हेतु तकनीकी, शिक्षा, टंकण कला, केंद्रों की स्थापना कर आत्म निर्भर नागरिक बनने का प्रयास करना.

(7)- संस्था के कार्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों, औद्योगिकी, शिक्षा, कालीन, प्रशिक्षण केंद्रों, टंकण, शॉर्ट हेड, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और सामाजिक क्षेत्रों मद्यनिषेध कार्यक्रमों का आयोजन हेतु प्रचार कराकर जनता का सर्वांगीण विकास करना.

(8)- संस्था के उद्देश्य हेतु अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के निधन निर्बल परिवारों में बच्चे/ बच्चियो हेतु नर्सरी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा में कार्य स्थापित कर संचालित किए जाएंगे.

(9)- संस्था के उद्देश्य हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यक वर्ग के निर्बल परिवारो के पुरुषों/महिलाओ छात्रों/छात्राओं विधवाएँ/वृद्धों में शिक्षा उत्थान योजनाओं के अंतर्गत ब्युटी पार्लर, कारपेंटरी, बाल विकास कार्य, वृक्ष रोपण, सड़कों, स्कूलों, आंगनबाड़ी, केंद्रों, मनरेगा योजना और मरम्मत निर्माण, पेयजल व्यवस्था, समशान घाट, सार्वजानिक स्थानो पर कार्य करना.

(10)- संस्था के उद्देश्य हेतु विकास कार्य वृद्धों पुरुषों/महिलाओ/अनाथों, विकलांगों, नेत्रहीनों, मूक-बधिर को भोजन कपड़ा अंग, सहायता प्रशिक्षण केंद्रों एव पेंशनरों की सुविधा उपलब्ध कराकर सर्वांगीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत करना.

(11)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकास कार्य वैश्याओ के बच्चों/बच्चियो हेतु शिक्षा, व्यवस्था, टंकण, कम्प्यूटर, शॉर्ट हैंड, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना कार्य करना

(12)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्बल निधन परिवारो जेसे अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य जाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक वर्ग हेतु बच्चे/बच्चियो हेतु और छात्रों/छात्राओं में शिक्षा उत्थान हेतु और प्रशिक्षण केंद्रों के अंतर्गत, कक्षा 1 से 12 तक विद्यालयो, कॉलेजों, डिग्री कॉलेज, कन्या विद्यालयों, महाविद्यालयों, उर्दू विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावसीय विद्यालयों, अम्बेडकर कोलेजो, कक्षा 1 से 12 तक, पालीटेक्निक, यूनिवर्सिटी, विद्यालयों, शिशु स्कूल, आश्रम पद्धति स्कूलो, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाईस्कूल, आई टी आई केंद्रो 10 बेड अस्पतालों से 300 बेड स्वास्थ्य अस्पतालों और डिस्पेंसरी (चल अस्पतालों) छात्रावासों का अन्य निर्माण स्थापना कर, शिक्षा, तथा दवाइया, मरीजों को भर्ती कर निशुल्क कार्य करने का समिति का उद्देश्य है.

(13)- संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 50 बालक हेतु, बाल गृह, वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, महिलाओ/पुरुषों में संस्कृति नित्य कला प्रोग्राम प्रशिक्षण कार्य- बी. एड., एम. बी. ए., ट्रामा सेंटरो, बी. टी. सी., मेडिकल कॉलेजों की स्थापना कर संचालित के अंतर्गत छात्रों/छात्राओं को अनुसूचित





भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोया बादशाहपुर पो0 खास जिला-एटा की कार्यकारिणी समिति की सूची वर्ष-2020-2021

क्रम सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री रामबाबू वर्मा पुत्र स्व० श्री चिरंजीलाल	ग्राम लोया बादशाहपुर पोस्ट व जिला-एटा	अध्यक्ष	कृषि
2-श्रीमती मीना कुमारी पत्नीश्री रामबाबू वर्मा	उमानगर अम्बेडकर पीली कोठी के पास पोस्ट मदेसी जिला-अलीगढ़	उपाध्यक्ष	कृषि
3-श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नीश्री अनिल कुमार गौतम	ग्राम गढिया पो० चिरगवां तह० जलेसर जिला-एटा	कोषाध्यक्ष	कृषि
4-श्री रघुरेश कुमार पुत्रश्री नेससेलाल	ग्राम बघौली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	मंत्री	कृषि
5-श्रीमती छोटीदेवी पत्नीश्री लीलाधर	मोहल्ला लाला नगला जी०टी रोड सिकन्दराराऊ हाथरस	कार्यालय सचिव कृषि	
6-श्रीमती लालवती पत्नीश्री महेश चन्द्र	मोहल्ला भोलेपुर पो० फतेहगढ़ फर्रुखाबाद	पदेन सदस्य	कृषि
7-श्री राजेश कुमार पुत्र स्व०श्री नेकसेलाल	ग्राम बघौली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	आडीटर	कृषि
8-श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्रश्री देशराज	ग्राम व पो० लोयाबादशाहपुर एटा	पदेन सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय ग्रामोद्योग विकास समिति क्षेत्र एटा

10-7-2020

रघुरेश कुमार

महेन्द्र सिंह

राजेश कुमार



जाति/पिछड़ी जाति के उच्चस्तर शिक्षा के छात्रों/छात्राओं को आई.ए.एस., पी. सी. एस., कोचिंग सेंटर आदि को जागत कर गरीब रेखा से ऊपर निःशुल्क कार्यक्रमों के अंतर्गत और स्वतःरोजगार प्राप्त कर सकते हैं.सम्पूर्ण भारत में विकास कार्य करने का समिति का उद्देश्य है

## संशोधित नियमावली

(1)- संस्था का नाम - भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति

(2)- संस्था का पता - लोया बादशाह पर पोस्ट खास जनपद एटा - (उ०प्र०)

(3)- संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण भारत

(4)- संस्था के उद्देश्य - संशोधित स्मृति पत्र संलग्न के अंतर्गत.

(5) - संस्था के सदस्यों की योग्यता -

1. भारत का नागरिक हो

2. महिला/पुरुष नागरिक हो. आयु सीमा अवधि 18 वर्ष से कम न हो.

3. संस्था का सदस्य यदि जनता द्वारा चुना हुआ हो या किसी पद पर हो या किसी सरकारी नौकरी में हो तो सदस्य बनाया जा सकता है.

4. संस्था में प्रत्येक सदस्य हस्ताक्षर करने वाला तथा शिक्षित होना चाहिए.

(6)- संस्था के सदस्यता के वर्ग -

1. आजीवन सदस्य

2. साधारण सदस्य

3. विशिष्ट सदस्य

1.आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को एक मुक्त 200000 रु० से 500000 लाख रुपये विकास कार्यो हेतु अपनी तथा परिवार की इच्छानुसार चन्दा दान का सहयोग देगा वह व्यक्ति शिक्षा अनुभव के तेहत अस्थाई रूप से अधिकारी कर्मचारी/मुख्यालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति विकास संस्थान/मंडल कार्यालयों/जिला कार्यालयों पर सदस्य गणों के रूप में और समिति के सदस्य गण बन सकते हैं चंदा दान कभी वापिस नहीं होगा.

2. साधारण सदस्य





जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 1000 रु से 5000 रु चन्दा दान के विकास कार्यों हेतु अपनी तथा परिवार की इच्छानुसार देगा वह साधारण सदस्य बन सकता है चंदा दान कभी वापिस नहीं होगा. .

### 3. विशिष्ठ सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त 500 रु से 1000 रुपये चन्दा दान विकास कार्यों हेतु अपनी तथा परिवार की इच्छानुसार देगा वह विशिष्ठ सदस्य बन सकता है दिया गया चन्दा दान वापिस नहीं होगा.

### (7)- सदस्यता की समाप्ति

1. मृत्यु होने पर
2. पागल होने पर
3. दिवालिया होने पर
4. सदस्यता शुल्क न देने पर.
5. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर

### (8)- संस्था के अंग

1. साधारण सभा
2. प्रबंधकारिणी सभा

**1. (A) गठन** - साधारण समिति का गठन सभी. प्रकार के सदस्यों को सम्मिलित करने के उपरांत किया जाएगा.

**(B)- बैठक** - साधारण समिति की बैठक प्रत्येक मास में एक बार होगी. यह बैठक अध्यक्ष के निर्णय से की जाएगी इसका समय 11बजे दिन में होगा.

**(C)- एजेंडा** द्वारा सूचित किया जाएगा जो साधारण बैठक में स्थान के विषय प्रस्ताव पारित कर लिया जाएगा.



(D)- बैठक की सूचना सभी सदस्यों को साधारण समिति की बैठक की सूचना एजेंडा या उचित माध्यम से बैठक की तिथि 7 दिन पूर्व दे दी जाएगी.

(E)- विशेष बैठक :- विशेष बैठक संस्था के स्मृति पत्र और नियमावली संशोधन हेतु प्रस्ताव विशेष बैठक में पारित होंगे. उन प्रस्तावों की स्वीकृति अध्यक्ष देगा. विशेष बैठक में किसी भी इमर्जेसी के कारण संस्था के हित के लिए बुलाई जा सकती है जिसकी सूचना 24 घंटे पूर्व दी जाएगी.

(F)- गण पूर्ति :- बैठक की कार्यवाही उस दशा में प्रारम्भ होगी. जब सदस्यों के भाग के दो तिहाई सदस्य उपस्थित हो अथवा बैठक कोरम के अभाव में अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दी जाएगी.

(G)- विशेष वार्षिक अधिवेशन - वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगी. जिसका स्थान दिनांक एवं समय अनुमोदन. प्रबंधकारिणी समिति करेगी.

(H)- साधारण सभा के अधिकार व कार्य :

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा पर विचार करना.
2. संस्था के समय खर्चे पारित करना.
3. बैलेन्स शीट पर विचार करना.
4. अगले वर्ष की योजना बनाना.
5. अगले साल का बजट बनाना.
6. अन्य प्रकार के संस्था के समस्त कार्यों जो वर्षों से रुके पड़े हों को तय कर देना.
7. ऋण अनुदान के लिए योजना तैयार करना...
8. संस्था की प्रगति के लिए जो भी अन्य कार्य हो को तय करना.

(9)- चुनाव

1. प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जाएगा. जिसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा.
2. आजीवन अध्यक्ष होगा.
3. चुनाव की दूसरी प्रक्रिया यदि कोई सदस्य अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधकारिणी, समिति सदस्यों के चुनाव हेतु विरोध करके खड़ा होता है तो आप सुविधा अध्यक्ष के आदेशानुसार प्लेड पद्धति द्वारा की जाएगी.





4. अगर कोई समिति के नाम से या प्रधान कार्यालय के नाम से अपनी इच्छानुसार यूनियन बनाई गयी हो तो उसे निरस्त समझा जाएगा.

(2)- अध्यक्ष की आज्ञानुसार तथा चुनाव प्रक्रिया के तहत यूनियन बनाई जाती है क्षेत्र के अंतर्गत जो मंडल कार्यालय आगरा द्वारा यूनियन का पंजीकृत हो तभी मान्य होगी.

1. ग्राम निर्देशन दाखिल करना.

2. नाम निर्देशन पत्रों का निरीक्षण करना.

3. नाम निर्देशन सूची का प्रदर्शन करना.

4. नाम निर्देशन के सम्बंध में आपत्तियों का निस्तारण.

5. विधि अन्य नाम निर्देशन की सूची का प्रदर्शन और विज्ञापन.

11-11-2018 6. नाम निर्देशन के सम्बंध में आपत्तियां प्रस्तुत करना.

7. नाम निर्देशन वापिस लेना.

(3)- नाम निर्देशन की वापसी के पश्चात यदि कोई हो तो सूची को अंतिम रूप देना.

(4)- उपयुक्त व्यक्ति के चुनाव हेतु निर्वाचित अधिकारी रजिस्टर्ड सोसायटी ऐक्ट चिट्स 30 प्र0 ऐक्ट ही करेगा अन्यथा संस्था किसी भी राज अधिकारी को चुनाव हेतु यहाँ निर्णय हो और किसी को आपत्ति न हो.

(5)- चुनाव के दौरान कोई भी बैठक भंग नहीं की जाएगी संस्था का कार्य सुचारु रूप से चलता रहेगा चुनाव में अपनी प्रभावी होगा उसके सम्मानित उस पद का कार्य सौंपा जाएगा.

(6)- निर्वाचित अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष द्वारा पारित किया जाएगा.

(10). साधारण समिति के अधिकार व कर्तव्य - :-

1. संस्था अधिकारी को अधिकारी चुनने के लिए साधारण सभा में अध्यक्ष के द्वारा पारित किया जाएगा

2. सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्रों की संस्तुति प्रदान करना व सदस्यता से अलग करने की स्वीकृति अध्यक्ष से लेना.

3. संस्था का वार्षिक बजट पारित करना.



मीना कुमारी  
निजमल कुमारी  
रघुरेश कुमार

4. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना.
5. समिति के कागजातों का रख रखाव ठीक प्रकार से रखना तथा समस्त कागजातों को लिखकर पूरी करने की व्यवस्था करना.
6. पारिश्रमिक का भुगतान किसी भी सदस्य को उन सेवाओं के लिए है जो उनके लिए पारिश्रमिक दिया जाएगा.
7. साधारण बैठक में सदस्यों अस्थाई कर्मियों के वेतनमान, वेतन, मजदूरी, भत्ते व अन्य भुगतान हेतु विचार विमर्श करके प्रस्ताव पारित कर भुगतान किए जाएंगे प्रस्ताव अध्यक्ष के द्वारा पारित होगा.

#### (11) प्रबंध करणी समिति की गणना :

11-91-9भा  
 1. संस्था की प्रबंधकारिणी समिति सदस्यों द्वारा गठित की जाएगी जो साधारण समिति में निर्वाचित हो गयी है 2. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, कार्यालय सचिव, ऑडिटर 6 कुल संख्या 9 होगी. 3. बैठक प्रबंधकारिणी समिति की बैठक हर साल में दो बार आयोजित की जाएगी जिसकी तिथि बैठक में तय कर दी जाएगी विशेष बैठक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलायी जा सकती है.

4. सूचना अवधि सभी सदस्यों तथा पदाधिकारियों की बैठक की सूचना बैठक की तिथि से कम से कम 7 दिन अथवा विशेष सूचना दी जाएगी.

5. गण पूर्ति - बैठक की गण पूर्ति दो तिहाई बहुमत सदस्यों की उपस्थिति होने पर पूर्ण होगी अथवा बैठक

का कॉलम पूर्ण न होने पर कारण अध्यक्ष द्वारा स्थगित कर दी जाएगी.

6. कार्यकाल - प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा. .

#### (12)- प्रबंधकारिणी समिति

1. संस्था की उन्नती के लिए कार्य करना.
2. भूमि भवन खरीदना व बनवाना आदि.
3. संस्था के लिए ऋण/अनुदान वित्त पोषित हेतु व्यवस्था करना.
4. प्रचार आदि की पूर्ण व्यवस्था करना.
5. नियमावली स्मृति पत्र संशोधित आदि की कार्यवाही की संस्तुति पर निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना.





6. साधारण समिति की संस्तुति पर निर्णय की स्वीकृति प्रदान करना. 7. मशीन आदि और प्रचार हेतु व माल लाने ले जाने हेतु बहानो तथा कार्यालयो हेतु क्रय करने का अधिकार होगा. 8. रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के रिक्त स्थानो की पूर्ति साधारण समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से की जाएगी.

### अध्यक्ष

1. अध्यक्ष के अधिकार व कर्तव्य के समय की समस्या व आवश्यक बैठक की अध्यक्षता करना.
2. संस्था की बैठक में समस्त मत आने पर निर्णय लेना.
3. संस्था के सभी कार्यों का निरीक्षण करना.

11.01.2011  
मीना कुमारी  
सिद्धेश्वरी  
रघुशंकर

4. आवश्यकता होने पर संस्था की 25 हजार रुपये तक व्यय करने का अधिकार. 5. संस्था के पदाधिकारी सदस्यों को उचित सलाह निर्देश देना/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभी प्रकार के कार्य जो अध्यक्ष करता है.

### मंत्री

1. बैठक की सूचना सभी पदाधिकारी व सदस्यों को उचित माध्यम से देना. 2. संस्था की बैठक अध्यक्ष की सहमती से आयोजित करना. 3. बैठक की कार्यवाही का संचलन करना.
4. संस्था के आय-व्यय की सूचना पटल पर रखना. 5. संस्था के कार्यों में अध्यक्ष की सहमति से दस हजार रुपये तक व्यय करने का अधिकार होगा. 6. ऋण वित्त पोषित अनुदान सहायता आदि सभी प्रकार के कार्य करना.

### कोषाधिकारी

1. संस्था के धन की समुचित व्यवस्था करना.
2. संस्था के धन को राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा करना व निकालना.
3. संस्था के आय व्यय समस्त लेखा जोखा करना.
4. अध्यक्ष के निर्देशानुसार रुपये निकालना.
5. समस्त कागजातों का लेखा जोखा करना.
6. कोषाध्यक्ष यदि मीटिंग में नहीं आती है तो केबल अध्यक्ष के नाम ही राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोला जाएगा तथा धन निकाला जाएगा.

### कार्यालय सचिव



समस्त कार्यालय की व्यवस्था करना एवं राज्य सरकार/भारत सरकार/विदेशों से वित्त पोषित सहायता आएगी उस धन राशि का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 20 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में अध्यक्ष के निर्णय से योजनाओं व कार्यालयों पर व्यय करने का अधिकार होगा.

### ऑडिटर

समस्त लेखा जोखा का ऑडिटर करना तथा निरीक्षण करना आदि. कार्यकाल - संस्था के कार्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, कार्यालय सचिव, ऑडिटर, पदेन सदस्य अधिकारी के बैठने की व्यवस्था की जाएगी और अन्य सदस्यों के लिए भी.

13 - संस्था के नियमों एवं संशोधन प्रक्रिया - संशोधन हेतु, विशेष बैठक, साधारण बैठक, प्रबंधकारिणी बैठक के नियमानुसार प्रस्ताव पारित होंगे. तथा प्रस्तावों की स्वीकृति अध्यक्ष ही देगा..

14 - संस्था का कोष - संस्था के समस्त कोष को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीयकृत बैंकों, डाकखाने में खाता खोलकर जमा किया जाएगा जिसके नियमों के लिए अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष की संस्तुति से भी निकाला जा सकता है. तथा कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में केवल अध्यक्ष के नाम से खाता खोल कर धन निकाला जा सकता है.

15 - संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण - 1. संस्था की आय व्यय की जांच प्रति वर्ष ऑडिटर द्वारा करायी जायेगी.

16 - संस्था अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का संचालन - यदि संस्था पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है या संस्था पर कोई कानूनी कार्यवाही करेगा तो उसकी देखरेख समस्त प्रबंधकारिणी समिति के पक्ष से भी की जाएगी. और मुख्य कार्यालयों/प्रधान कार्यालयों/मंडल कार्यालयों/ जिला कार्यालयों/ योजना कर्मियों द्वारा की जायेगी

17 - विवादः - संस्था अपना विवाद सम्पूर्ण समस्त के किसी न्यायालय में दायर कर सकेगी जो कि विधान दायर करने के क्षेत्र के अंतर्गत है. 18. संस्था के मुख्य नियम - संस्था के स्मृति पत्र में विभागों राज्य सरकार भारत सरकार के मंत्रालयों /विदेशों वित्त पोषित सहायता आएगी उस धन राशि को योजनाओं कार्यालयों पर नियम के अंतर्गत व्यय की जाएगी. संस्था के प्रत्येक सदस्य तथा कार्यालयों के वरिष्ठ कर्मियों की चल अचल संपत्ति से ऋण वित्तीय अनुदान की वसूली का अधिकार राज्य सरकार/भारतसरकार को होगा. पूर्व से हटाये गए सदस्यों से वसूली का अधिकार नहीं होगा. संस्था का जो भी अध्यक्ष होगा व संस्था का संस्थापक के नाम से भी कहा जा





सकता है. संस्था का अध्यक्ष आजीवन सदस्य है अध्यक्ष के परिवार का ही बन सकता है अन्य कोई नहीं बन सकता.

### 19 संस्था के अभिलेख

1. सदस्य समिति और कार्यालयों के कर्मियों का रजिस्टर.
2. कार्यवाही रजिस्टर.
3. एजेंडा रजिस्टर.
4. कैश बुक अन्य आदि.

संस्था के विधिवत की निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि० एक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत होगी.

दिनांक.....

### प्रबंधकारिणी समिति के हस्ताक्षर

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	रामबाबूवर्मा	अध्यक्ष	(1-11-13)
2.	मीनाकुमारी	उपाध्यक्ष	मीनाकुमारी
3.	विजयलक्ष्मी	कोषाध्यक्ष	विजयलक्ष्मी
4. ✓	रघुरेशकुमार	सचिव	रघुरेशकुमार

प्रमाणित  
(1-11-13)  
आर.वी.वर्मा

अध्यक्ष/संस्थापक



### संशोधित स्मृति पत्र

- 1. संस्था का नाम : भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
- 2. संस्था का पता : लोवा बादशाहपुर, पोस्ट-खास, जनपद-एटा, उ०प्र०
- 3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उ० प्र० एवं भारत वर्ष
- 4. संस्था का उद्देश्य-

काम क्षेत्र में सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कारीगरी एवं पुरुष/महिलाओं की उन्नति सिलाई हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई गरीबों एवं महिलाओं तक सम्पूर्ण उ० प्र० में विकास करना है।

2. विभिन्न सिलाई कढ़ाई, बुनाई, के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना और सहयोग करना।



3. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के कारने विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उ० प्र० अनुसूचित जाति विलत एवं विकास निगम लिमिटेड, जिला उद्योग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला परिषद, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग विकास खण्ड, राष्ट्रीयकृत बैंको से तथा राज्य के अन्य विभागों से संस्था की उन्नति हेतु आर्थिक सहायता ऋण/अनुदान प्राप्त करना है। और केन्द्रीय सरकार की अन्य विभागों से वित्तीय सहायता लेकर हरिजन एवं निर्बल वर्ग तथा विकलांग, अंधे एवं पिछड़ी जाति के सदस्य तथा महिला परिवारों में हैंड-पाइप, शौचालय एवं भवन बनवाने, मछली पालन एवं भुर्गी पालन के लिए सहायता पहुँचाना तथा मिनो डेरी, बैल, बकरी, पालन आदि।

सहायता  
परिवारों में हैंड-पाइप, शौचालय एवं भवन बनवाने, मछली पालन एवं भुर्गी पालन के लिए सहायता पहुँचाना तथा मिनो डेरी, बैल, बकरी, पालन आदि।

4. जनता का सुधार करना, विद्यालयों को क्रीडास्थलों एवं पुस्तकालयों तथा अम्बेडकर भाकों की सहायता देना तथा उनकी मुच्चाक रूप से बनवाने में पूर्ण सहयोग करना है।

सत्य प्रतिनिधि



जन निर्देशक  
उपनिर्देशक एवं विकास  
आयुक्त एवं स. स.



खादी के वस्त्र बनवाना सूती खादी, टेरीकाट खादी, रेशमी खादी और ऊनी खादी से नये-नये प्रकार के कपड़े बनवाना। पुरुष तथा महिलाओं तथा बच्चों के वास्ते सभी प्रकार के छोटे-छोटे वस्त्र तैयार करना तथा नये-नये प्रकार के कपड़े पर कढ़ाई कराना तथा बाजारों में भेजना।

- 6. संस्था का उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों एवं निर्धन बच्चों के विकास हेतु तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं टंकण कला केन्द्र की स्थापना कर बच्चों एवं बेरोजगार युवकों को आत्म निर्भर नागरिक बनवाने का प्रयास करना।
- 7. संस्था का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व औद्योगिकी शिक्षा हेतु कालीन केन्द्र एवं स्थापना एवं सामाजिक क्षेत्र में मद्यनिषेध कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों का सर्वांगीण विकास करना।
- 8. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था करना एवं विद्यालयों की स्थापना करना एवं निर्धन बच्चों एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं उनके लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना।
- 9. विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला समाज कल्याण बोर्ड, जिला प्रोवेशन विभाग जिला बाल विकास कार्यक्रम, जिला पिछड़ा वर्ग विभाग, जिला विकास विभाग से ऋण/अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है।




महिला  
महिला  
महिला  
महिला  
महिला  
महिला  
महिला  
महिला  
महिला  
महिला

10. उपरोक्त विभागों से सहायता प्राप्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यकों के वर्गों के पुरुष/महिलाओं/छात्र-छात्राय/विधवाएँ/वृद्ध जो गरीब परिवारों में शिक्षा, महिला बाल विकास कार्यक्रमों वृक्षारोपण/सड़कों स्कूलों/बने परम्मत करवाना, सार्वजनिक स्थानों पर जल व्यवस्था एवं निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना करवाना, विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन का आयोजन कर पुरुषों/महिलाओं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।

संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विकास कार्यों जैसे टंकण प्रशिक्षण केन्द्र, शार्टहेण्ड प्रशिक्षण, वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाना। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यालयों की स्थापना करना तथा डिग्री कालेज, कन्या महाविद्यालयों एवं उर्दू विद्यालयों की स्थापना करना। पॉलिटेक्निक निःशुल्क आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना करना, भिक्षु स्कूलों की स्थापना करना 10 बेड से लेकर 300 बेड के अस्पतालों की निःशुल्क व्यवस्था करना

सत्य प्रतिष्ठिति

बन विवेक  
कर्म बंधन २६ विद्युत्



Handwritten signature or name in the bottom right corner.

छात्रावासों का निर्माण करना, ग्रामीण/शहरी सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाना आदि । निःशुल्क संचालन करना ।

12. संस्था के उद्देश्यों हेतु उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा, भोजन, कपड़ों की व्यवस्था करना तथा उपरोक्त वर्गों के विकास हेतु भली-भांति 30 प्र0 एवं भारतवर्ष में विकास कराने का संस्था का एक मात्र उद्देश्य है ।

13. संस्था के उद्देश्यों हेतु, 50 बालक हेतु, बाल गृह एवं वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम एवं महिलाओं संस्कृति नित्यकला प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु बी.एड., एम.बी.ए. स्थापना कर छात्र/छात्राओं को जागृत करना हमारा संस्था का एक मात्र उद्देश्य है ।



*Handwritten signature*

सत्य प्रतिक्रिया

संस्था के अध्यक्ष  
कर्म भवन, ...  
... ..

26/01/2018



*Handwritten signature*



आदी के वस्त्र बनवाना सूती खादी, टेरीकाट खादी, रेशमी खादी और ऊनी खादी से नये-नये प्रकार के कपड़े बनवाना। पुरुष तथा महिलाओं तथा बच्चों के वास्ते सभी प्रकार के छोटे-छोटे वस्त्र तैयार करना तथा नये-नये प्रकार के कपड़े पर कढ़ाई कराना तथा बाजारों में भेजना।

6. संस्था का उद्देश्य बेरोजगार युवक/युवतियों एवं निर्धन बच्चों के विकास हेतु तकनीकी शिक्षा संस्थानों एवं टंकण कला केन्द्र की स्थापना कर बच्चों एवं बेरोजगार युवको को आत्म निर्भर नागरिक बनवाने का प्रयास करना।

7. संस्था का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना जैसे कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र व औद्योगिकी शिक्षा हेतु कालीन केन्द्र एवं स्थापना एवं सामाजिक क्षेत्र में मद्यनिषेध कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों का सर्वांगीण विकास करना।

8. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए नर्सरी से लेकर उच्च शिक्षा तक व्यवस्था करना एवं विद्यालयों की स्थापना करना एवं निर्धन बच्चों एवं अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं उनके लिए आवासोप विद्यालयों की स्थापना करना।

9. विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला समाज कल्याण बोर्ड, जिला प्रोवेशन विभाग जिला बाल विकास कार्यक्रम, जिला पिछड़ा वर्ग विभाग, जिला विकास विभाग से ऋण/अनुदान सहायता प्राप्त कर सकती है।

10. उपरोक्त विभागों से सहायता प्राप्त कर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/सामान्य जाति/अल्पसंख्यकों के वर्गों के पुरुष/महिलाओं/छात्र-छात्राय/विधवाएं/वृद्ध जो गरीब परिवारों में शिक्षा, महिला बाल विकास कार्यक्रमों वृक्षारोपण/सूखे स्कूलों को परम्पत करवाना, सार्वजनिक स्थानों पर जल व्यवस्था एवं निःशुल्क अस्पतालों की स्थापना करवाना, विधवा पेंशन/वृद्धावस्था पेंशन का आयोज कर पुरुषों/महिलाओं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना।



संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विकास कार्य जैसे टंकण प्रशिक्षण केन्द्र, शार्टहेण्ड प्रशिक्षण, वैश्याओं के बच्चों की शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाना। कक्ष 6 से 12 तक के विद्यालयों की स्थापना करना तथा डिग्री कॉलेज, कन्या महाविद्यालयों एवं उर्दू विद्यालयों की स्थापना करना, पॉलिटेक्निक निःशुल्क आवासोप विद्यालयों की स्थापना करना, आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना करना, भिक्षु स्कूलों की स्थापना करना 10 बैड से लेकर 300 बैड के अस्पतालों की निःशुल्क व्यवस्था करना

सत्य प्रतिनिधि

बप प्रियदर्शन  
कर्मचारी संघ, 24 विस्तार

Handwritten signature and official stamp at the bottom right.

सकता है. संस्था का अध्यक्ष आजीवन सदस्य है अध्यक्ष के परिवार का ही बन सकता है अन्य कोई नहीं बन सकता.

### 19 संस्था के अभिलेख

1. सदस्य समिति और कार्यालयों के कर्मियों का रजिस्टर.
2. कार्यवाही रजिस्टर.
3. एजेंडा रजिस्टर.
4. कैश बुक अन्य आदि.

संस्था के विधिवत की निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि० एक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत होगी.

दिनांक.....

### प्रबंधकारिणी समिति के हस्ताक्षर

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	सिमवा पुत्रमी	अध्यक्ष	(1-11-2021)
2.	मीनाकुमारी	उपाध्यक्ष	मीनाकुमारी
3.	विजयलक्ष्मी	कोषाध्यक्ष	विजयलक्ष्मी
4.	रघुरेशकुमार	संजी	रघुरेशकुमार

प्रमाणित  
(1-11-2021)  
आर.वी.वर्मा

अध्यक्ष/संस्थापक





### संशोधित स्मृति पत्र

- 1. संस्था का नाम : भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति
- 2. संस्था का पता : लोवा बादशाहपुर, पोस्ट-खास, जनपद-एटा, 30300
- 3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त 30 प्र0 एवं भारत वर्ष
- 4. संस्था का उद्देश्य-

काम क्षेत्र में सिलाई कढ़ाई, बुनाई, कारीगरी एवं पुरुष/महिलाओं की उन्नति सिलाई हेतु सिलाई, बुनाई, कढ़ाई एवं महिलाओं तक सम्पूर्ण 30 प्र0 में विकास करना है।

2. विभिन्न सिलाई कढ़ाई, बुनाई, के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना और सहयोग करना।



3. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के वास्ते विकास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 30 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, जिला उद्योग खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला परिषद, जिला हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग विकास खण्ड, राष्ट्रीयकृत बैंको से तथा राज्य के अन्य विभागों से संस्था की उन्नति हेतु आर्थिक सहायता ऋण/अनुदान प्राप्त करना है। और केन्द्रीय सरकार की अन्य विभागों से वित्तीय सहायता लेकर हरिजन एवं निर्बल वर्ग तथा विकलांग, अंधे एवं पिछड़ी जाति के सदस्य तथा महिला परिवारों में हैंड-पाइप, शौचालय एवं भवन बनवाने, मछली पालन एवं मुर्गी पालन के लिए सहायता पहुँचाना तथा मिनी डेरी, बैल, बकरी, पालन आदि।

महेश्वर सिंह  
सचिव

4. जनता का सुधार करना, विद्यालयों के क्रीडास्थलों एवं पुस्तकालयों तथा अम्बेडकर पार्कों की सहायता देना तथा उनकी सुचारु रूप से चलवाने में पूर्ण सहयोग करना है।

सत्य प्रतिबिम्बि



भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोया बादशाहपुर पो0 खास जिला-एटा की कार्यकारिणी समिति की सूची वर्ष-2020-2021

क्रम सं० नाम	पता	पद	व्यवसाय
1-श्री रामबाबू वर्मा पुत्र स्व० श्री चिरंजीलाल	ग्राम लोया बादशाहपुर पोस्ट व जिला-एटा	अध्यक्ष	कृषि
2-श्रीमती मीना कुमारी पत्नीश्री रामबाबू वर्मा	उमानगर अम्बेडकर पीली कोठी के पास पोस्ट भदोसी जिला-अलीगढ़	उपाध्यक्ष	कृषि
3-श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नीश्री अनिल कुमार गौतम	ग्राम गढिया पो० चिरगवां तह० जलेसर जिला-एटा	कोषाध्यक्ष	कृषि
4-श्री रघुरेश कुमार पुत्रश्री नेकसेलाल	ग्राम बघौली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	मंत्री	कृषि
5-श्रीमती छोटीदेवी पत्नीश्री लीलाधर	मोहल्ला लाला नगला जी०टी रोड सिकन्दराराऊ हाथरस	कार्यालय सचिव कृषि	
6-श्रीमती लालवती पत्नीश्री महेश चन्द्र	मोहल्ला भोलेपुर पो० फतेहगढ़ फर्रुखाबाद	पदेन सदस्य	कृषि
7-श्री राजेश कुमार पुत्र स्व०श्री नेकसेलाल	ग्राम बघौली पो० शाहदतनगर जनपद एटा	आडीटर	कृषि
8-श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्रश्री देशराज	ग्राम व पो० लोयाबादशाहपुर एटा	पदेन सदस्य	कृषि

सत्य प्रतिलिपि

कार्यालय, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र ग्रामोद्योग विकास समिति, लोया बादशाहपुर एटा

10-7-2020

रघुरेश कुमार

महेन्द्र सिंह

राजेश कुमार





